



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे (खण्ड -I) 2021-22



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त लेखे

खण्ड-I

2021-22

हिमाचल प्रदेश सरकार

खण्ड-I

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
खण्ड- I	
■ भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	(iii-v)
■ वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका (प्रस्तावना)	(vii-xi)
1 वित्तीय स्थिति की विवरणी	2-3
2 प्राप्तेयों और संवितरणों की विवरणी	4-8
अनुबंध-रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश	
3 प्राप्तेयों की विवरणी(समेकित निधि)	9-12
4 व्यय की विवरणी(समेकित निधि)	13-16
5 प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी	17-20
6 उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी	21-24
7 सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी	25-26
8 सरकार के निवेशों की विवरणी	27
9 सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी	28
10 सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी	29-31
11 दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी	32
12 राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी	33-36
13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार	37-38
■ वित्त लेखाओं पर टिप्पणियां	39-54
खण्ड- II	
भाग- I विस्तृत विवरणियां	
14 लघु शीर्षो-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी	56-74
15 लघु शीर्षो-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी	75-114
16 लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष -वार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी	115-156
17 उधारों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी	157-168
18 सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी	169-175
19 निवेशों की विस्तृत विवरणी	176-190
20 सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विस्तृत विवरणी	191-193
21 आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी	194-201
22 चिन्हेत निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी	202
खण्ड- II	
भाग- II परिशिष्ट	
(I) वेतन पर तुलनात्मक व्यय	204-210
(II) सहायता पर तुलनात्मक व्यय	211-217
(III) राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)	218-239
(IV) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विस्तृत विवरण	240-241
(V) योजना स्कीम व्यय	242-247
(क) केन्द्रीय स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित योजना, केन्द्रीय योजना स्कीम)	
(ख) राज्य योजना स्कीमें	

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
खण्ड- II		
भाग- II परिशिष्ट		
(VI)	राज्य की कार्यालयन एजेंसियों को केन्द्रीय परियोजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा निधियां दी गईं)(अलेखापरीक्षित आंकड़े)	248-267
(VII)	अथ शेषों के साथ शेषों का मिलान व अनुमोदन	268
(VIII)	सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम	269
(IX)	अपूर्ण निर्माण कार्यों की वचनबद्धता की विवरणी	270-278
(X)	वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय	279-284
(XI)	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णय तथा बजट में प्रस्तावित नई स्कीमें	285
(XII)	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों का विवरण	286

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के वित्त लेखों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से / में लेन-देन वाले संव्यवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं के संकलन में दो खंड शामिल हैं; खंड-I में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है और खंड-II लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोग हेतु सरकार के विनियोग लेखे, जो बजट तुलना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों' के साथ पढ़े जाने वाले वित्त लेखे उचित वित्तीय स्थिति और वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमण्डल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगीखातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

इस संकलन में विवरण (8, 9, 19 तथा 20) और परिशिष्ट (IV, VI, VIII, IX तथा XI) सीधे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किए गए हैं जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

में,

- 1) आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) कोषागार से आकस्मिक प्रकृति के अग्रिम आहरित करने के लिए उसी प्रपत्र (अर्थात एचपीटीआर-5) का उपयोग कर रहे थे, जैसा कि और अन्य सभी नियमित प्रकार के व्यय जैसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, आकस्मिकता/जी.आई.ए./छात्रवृत्ति/अन्य शुल्क, आदि के लिए है, सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिमों की पहचान करने व विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिलों के रूप में उनके समायोजन के लिए कोई तंत्र नहीं था। इसलिए, न तो कोषागार और न ही प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) कार्यालय के पास ए.सी. बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिमों के ब्यौरे तथा उनके विस्तृत लम्बित कोई अभिलेख था। अग्रिम आहरित और उसकी निगरानी/लेखा न किया जाना, दुर्विनियोजन/गबन की संभावना को बढ़ाता है [एन.टी.एफ.ए. के पैराग्राफ 3 (iv) में]
- 2) वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹2,392.99 करोड़ की कुल राशि के 1,823 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0) जो देय थे, राज्य के निकायों और प्राधिकरणों द्वारा प्रदान सहायता अनुदान के एवज में प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावा, ₹2,359.15 करोड़ की कुल राशि के 1,796 उपयोगिता प्रमाण पत्र जोकि वर्ष 2020-21 तक प्रस्तुत करने हेतु देय थे, 31 मार्च 2022 तक लम्बित थे। इस प्रकार, ₹4,752.14 करोड़ की राशि के 3,619 उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2022 तक प्रस्तुत करने हेतु लम्बित थे। यू.सी. जमा न करने के मददेनजर, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹4,752.14 करोड़ की राशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च/उपयोग की गई है, जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा अनुमोदित/अधिकृत किया गया था [एन.टी.एफ.ए. के पैराग्राफ 3 (vii) में]

पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

‘मामले के महत्व’ खंड के कारण वित्त लेखाओं पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक- 06/12/2022

स्थान: नई दिल्ली

क. सरकार के लेखाओं की संरचना का विस्तृत अवलोकन

1. हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं, लोक ऋण के लेखाओं में दर्ज शेषों में से निकाली गई देनदारियाँ एवं परिसम्पितियों को दर्शाते हैं वित्तीय लेखों के साथ विनियोग लेखे होते हैं जो अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध व्यय की तुलना प्रस्तुत करते हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग-I: समेकित निधि: इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋण (बाजार ऋण, ऋण पत्र, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों की वापसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से भारत के संविधान में निहित विधि एवं उद्देश्य के अतिरिक्त कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता। कुछ श्रेणी के व्यय (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋणों की वापसी इत्यादि), राज्य सरकार की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं एवं विधान मण्डल द्वारा पारित होने के विषय नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान मण्डल द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग होते हैं - राजस्व एवं पूंजीगत (लोक ऋण, ऋण और अग्रिम सहित)। इन्हें आगे, 'प्राप्ति' एवं 'व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्ति भाग, तीन खण्डों में बांटा गया है, 'कर राजस्व', 'गैर-कर राजस्व' एवं 'सहायतानुदान व अंशदान'। इन तीन खण्डों को आगे उप-खण्डों में बांटा गया है जैसे - वस्तु एवं सेवा कर, आय व व्यय पर कर, 'वित्तीय सेवाएँ' इत्यादि। पूंजीगत प्राप्तियाँ भाग में कोई खण्ड अथवा उप-खण्ड नहीं होते हैं। राजस्व व्यय भाग को चार खण्डों जैसे - 'सामान्य सेवाएँ', 'सामाजिक सेवाएँ', 'आर्थिक सेवाएँ' एवं 'सहायतानुदान व अंशदान' में बांटा गया है। राजस्व व्यय भाग में इन खण्डों को आगे उप खण्डों जैसे-राज्य के अंग, शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति इत्यादि में विभाजित किया गया है। पूंजीगत व्यय भाग आगे सात उप-खण्डों जैसे 'सामान्य सेवाएँ', 'सामाजिक सेवाएँ', 'आर्थिक सेवाएँ', 'लोक ऋण', 'ऋण एवं अग्रिम', 'अन्तर्राज्यीय समाधान' तथा 'आकस्मिकता निधि' को हस्तान्तरण में विभाजित है।

भाग-II: आकस्मिकता निधि: यह निधि अग्रदाय की होती है जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिकता व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। इस निधि को राज्य सरकार की समेकित निधि में संबंधित मुख्य शीर्ष को डेबिट देकर प्रतिपूर्ति किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2021-22 की आकस्मिकता निधि ₹5.00 करोड़ है।

भाग-III लोक लेखा: प्राप्त अन्य सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है, जहां सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण एवं उचन्त शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लम्बित रहते हस्तान्तरण शीर्ष हैं) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा में सम्मिलित होता है। लोक लेखा में छः खण्ड जैसे: 'लघु बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि', 'आरक्षित निधियाँ', 'जमा व अग्रिम', 'उचन्त एवं विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष' सम्मिलित हैं। ये खण्ड आगे उप खण्डों में विभाजित हैं। लोक लेखा विधान मण्डल के वोट का विषय नहीं है।


3. सरकारी लेखे छः स्तरीय वर्गीकरण जैसे: मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक) लघु शीर्ष (तीन अंक) उप शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो से तीन अंक), एवं उद्देश्य शीर्ष (दो/तीन/चार अंक) में प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्य को प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष

कार्यक्रम/क्रिया कलाप को प्रदर्शित करते हैं, उप शीर्ष योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं, एवं उद्देश्य शीर्ष व्यय के उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित वर्गीकरण संरचना निहित है (मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष की 31 मार्च 2022 तक अद्यतित सूची अनुसार)

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण और अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिक निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिक निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. लेखाओं की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत है:



ख. वित्तीय लेखाओं की विषय वस्तु

वित्तीय लेखाओं को दो खण्डों में दर्शाया जाता है

खण्ड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका, चालू वर्ष हेतु राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन देनों पर संक्षिप्त सूचना दर्शाती 13 विवरणियाँ, तथा लेखाओं पर टिप्पणियों का एक अनुबंध सम्मिलित हैं। खण्ड-I में 13 विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

1. **वित्तीय स्थिति की विवरणी:** यह विवरणी वर्ष के अन्त तक की राज्य सरकार की संचायत्मक परिसम्पत्तियों एवं

दायित्वों के आकड़ों को दर्शाती है तथा इन आकड़ों का पिछले वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति से तुलनात्मक रूप में दर्शाती है।

- 2. प्राप्तियों और संवितरणों की विवरणी:** यह विवरणी सरकारी लेखाओं के सभी तीनों भागों: समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखे जिनमें सरकारी लेखाओं को रखा जाता है, के अन्तर्गत राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेषों (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दर्शाता अनुबंध भी शामिल है। यह अनुबंध सरकार के अर्थोपाय अग्रिमों की स्थिति को विस्तृत रूप से प्रदर्शित करता है।
- 3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):** यह विवरणी राज्य सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों, दायित्वों एवं दिए गये ऋण की वापसी को दर्शाती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14, 17 व 18 की समरूप है।
- 4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि):** लघु शीर्ष स्तर तक वित्तीय लेखाओं के सामान्य प्रदर्शन से हटकर यह विवरणी व्यय कार्य-प्रकृति (व्यय के उद्देश्य) के अनुरूप भी व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II में दी गई विस्तृत विवरणी 15, 16, 17, व 18 की समरूप है।
- 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी:** यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 की समरूप है।
- 6. ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी:** सरकार की उधारियों में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आन्तरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। 'अन्य देनदारियों' में, 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि', आरक्षित निधियाँ एवं जमा समाहित हैं। इस विवरणी में ऋण के उपयोग पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है एवं यह भाग-II में विस्तृत विवरणी 17 की समरूप है।
- 7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्जदारों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्त एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा आदाता व्यक्तियों (सरकारी कर्मचारियों सहित) को प्रदत्त सभी ऋण एवं अग्रिमों को दर्शाती है। यह विवरणी भाग-II की विस्तृत विवरणी 18 की समरूप है।
- 8. सरकार के निवेशों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के इक्विटी पूंजी में निवेशों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 19 के समरूप है।
- 9. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी:** यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऋणों पर मूलधन व ब्याज की अदायगी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के सार को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी-20 के समरूप है।
- 10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी:** यह विवरणी सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ग्राहियों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्त एवं अन्य संस्थानों/ प्राधिकरणों एवं व्यक्तियों को प्रदत्त सभी सहायतानुदान को दर्शाती है। परिशिष्ट-III में प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण समाहित है।
- 11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी:** यह विवरणी वित्त लेखों में दर्ज निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्ज सकल आंकड़ों के मेल में सहायक है।
- 12. राजस्व व्यय के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी:** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिये, जबकि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरुआत में नगद शेष एवं उधारों से पूरा किया जाना चाहिए।
- 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार:** यह विवरणी लेखाओं की सटीकता सिद्ध करने में सहायक है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 व 21 के समरूप है।

वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ और महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ प्रकटीकरण और व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य लेनदेन, लेनदेन की श्रेणी, शेष राशि आदि से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करना है, जो वित्त खातों के हितधारकों/उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होगा।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ, बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार पर, भारत सरकार के लेखा मानकों (आईओजीओएसओ) की आवश्यकताओं, खातों के स्वरूप, पूंजी और राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजन आदि सहित वित्त लेखाओं पर टिप्पणियों के भाग के रूप में खण्ड-I में वित्त लेखों में शामिल किया गया है।

वित्त लेखों के खण्ड-II के दो भाग हैं:- भाग-I में 9 विस्तृत विवरणियाँ तथा भाग-II में XII परिशिष्ट हैं।

खण्ड-II का भाग-I

- 14. लघु शीर्ष-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी, वित्त लेखों के खण्ड-I में सार विवरणी 3 की समरूपी है लघु शीर्ष स्तर पर राजस्व प्राप्ति के विवरण का प्रतिनिधित्व करने के अलावा, यह विवरणी केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के संबंध में उप शीर्ष स्तर पर विवरण दर्शाती है।
- 15. लघु शीर्ष-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी जो कि खण्ड-I में सार विवरणी 4 की समरूपी है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को दर्शाती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।
- 16. लघु शीर्ष व उप शीर्ष वार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी, जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 5 की समरूपी है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान एवं संचयात्मक) को दर्शाती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं में पूंजीगत व्यय का विवरण लघु शीर्ष स्तर तक दिखाए जाने के अतिरिक्त, यह विवरणी उपशीर्ष स्तर तक विवरण भी दर्शाती है।
- 17. ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी, जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 6 की समरूपी है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉन्ड, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, इत्यादि) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थापय अग्रिमों को दर्शाती हैं। यह विवरणी ऋणों पर तीन श्रेणियों- (क) व्यक्तिगत ऋणों का ब्यौरा (ख) परिपक्वता रूप-रेखा अर्थात् प्रत्येक श्रेणी के ऋणों की विभिन्न वर्षों में देय राशि एवं (ग) बकाया ऋण पर ब्याज दर की रूप रेखा एवं अनुबंध में बाजार ऋण की सूचना प्रस्तुत करती है।
- 18. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी, इसी खण्ड-I के भाग-I सार विवरणी 7 की समरूपी है।
- 19. राज्य सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी, वस्तु स्थिति-वार निवेशों तथा विवरणी 16 व 19 के बीच अंतर यदि कोई हो, के मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष वार विवरणों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I की विवरणी 8 के समरूप है।
- 20. सरकार द्वारा प्रदत्त प्रतिभूतियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी, सरकारी प्रतिभूतियों के वस्तु स्थिति-वार विवरण को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I के विवरणी 9 के समरूप है।
- 21. आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी आकस्मिकता निधि में असमायोजित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अन्त में लम्बित शेषों का लघु शीर्ष वार विवरण दर्शाती है।
- 22. चिन्हित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से निवेशों का विवरण दर्शाती है।

खण्ड-II का भाग-II

भाग-II में विभिन्न मदों, वेतन, उपदान, सहायतानुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, इत्यादि पर **बारह परिशिष्ट सम्मिलित** हैं। ये विवरण लेखाओं में उप शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (लघु शीर्ष के नीचे) उपलब्ध है इसलिए सामान्यतः वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाए जाते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-I तथा II की विषय सूची में उपलब्ध है। परिशिष्टों के साथ विवरणियों तथा वित्त लेखाओं पर टिप्पणी का पठन, सरकार की वर्ष के दौरान वित्तीय स्थिति के साथ आय व व्यय पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है।

ग. शीघ्र गणक:

निम्न भाग, खण्ड-I में दर्ज सार विवरणियों को खण्ड-II में दर्ज विस्तृत विवरणियों एवं परिशिष्टों से जोड़ता है (परिशिष्ट जो सार विवरणियों से सीधे संबधित नहीं है नीचे नहीं दर्शाए गए हैं)।

परिमाण	(खंड-I)	(खंड-II)	
	सारांश तालिकाएं	विस्तृत तालिकाएं	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त अनुदान सहित), पूंजीगत प्राप्तियां	2, 3	14	
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (उपदान)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान	2,10	---	III(सहायता अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4,5,12	16	I(वेतन)
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	1, 2, 7	18	
ऋण स्थिति/ऋण	1, 2, 6	17	
कंपनी, निगमों में सरकार द्वारा किए गए निवेश	8	19	
नकदी	1, 2,12,13	21	
लोक लेखा में शेष तथा सम्बन्धित निवेश	1, 2,12,13	21, 22	
प्रत्याभूतियां	9	20	
योजनाएं			IV(बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं)

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

पूंजियाँ ¹	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	
	वित्त लेखाओं पर टिप्पणी	विवरण			
रोकड़					
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय पारगमन		21	
(ii) विभागीय शेष		21	0.16	0.16	
(iii) स्थाई रोकड़ अग्रदाय		21	0.03	0.03	
(iv) नगद शेष निवेश		21	2,568.08	1,696.09	
(v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा		21	(-)45.41	59.96	
(vi) चिन्हित शेषों से निवेश ²		
पूंजीगत व्यय					
(i) कम्पनी, कॉर्पोरेशन इत्यादि के शेयरों में निवेश		16 {	8,19	4,913.00	4,562.40
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय			...	50,546.49	44,867.71
आकस्मिक निधि (अनापूर्ति)		
ऋण तथा अग्रिम		7,18	8,024.83	7,687.59	
विभागीय अधिकारियों को अग्रिम		
उचन्त तथा विविध शेष ³		
प्रेषण		
प्राप्तियों से ऊपर व्यय का समन्वयी आधिक्य ⁴		12	7892.62*	9,014.36	
जोड़			73,899.80	67,888.30	

¹परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी आंकड़े हैं। कृपया 'वित्त लेखाओं पर टिप्पणी' अनुभाग में टिप्पणी 1 (v) भी देखें।

²कम्पनियों आदि के शेयरों में चिन्हित निधियों में से किए गए निवेशों को पूंजीगत व्यय के अधीन निकाल दिया गया है तथा 'चिन्हित निधियों में से निवेश के अधीन सम्मिलित कर दिया गया है।

³इस तालिका में पंक्ति-मद 'उचन्त तथा विविध शेष' में 'नगदी शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थायी नगदी अग्रदाय' सम्मिलित नहीं हैं इन्हें ऊपर अलग से शामिल किया गया है, हालांकि इन लेखाओं में इनको अन्यत्र इस सैक्टर के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है।

⁴प्राप्तियों से ऊपर व्यय का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से अलग है अर्थात् राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं हैं।

*संचित पूंजीगत प्राप्तियों के कारण विवरणी सख्या-12 पृष्ठ संख्या 37 में देखे ₹55.57 करोड़ की राशि की भिन्नता है (वर्ष 2017-18 ₹34.82 करोड़, वर्ष 2018-19 ₹8.82 करोड़, वर्ष 2019-20 ₹2.04 करोड़ वर्ष 2020-21 ₹2.88 करोड़ और वर्ष 2021-22 ₹7.01 करोड़)

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

दायित्व	संदर्भ (क्र. सं.)		31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
	वित्त लेखाओं पर टिप्पणी	विवरण		
उधार (लोक ऋण)				
(i) आन्तरिक ऋण		6,17	44,376.03	42,918.21
(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम				
आयोजनेतर ऋण		6,17	1.94	2.38
राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण		6,17	3,162.03	3,259.03
अन्य ऋण		6,17	3,587.44	0.13
आकस्मिकता निधि (कॉरप्स)		21	5.00	5.00
लोक लेखा पर दायित्व				
(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि		21	17,006.28	16,522.64
(ii) आरक्षित निधियां		21	1,973.90	2,717.19
(iii) जमा व अग्रिम		21	3,426.66	3,461.64
(iv) प्रेषण शेष		21	653.50	541.91
(v) उचन्त तथा विविध शेष *		21	(-)292.98	(-)1,539.83
व्यय से ऊपर प्राप्ति का समन्वयी आधिक्य		12
जोड़			73,899.80	67,888.30

* पृष्ठ संख्या 2 (खण्ड-I), पर पाद टिप्पणी 3 देखें

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी					
(₹ करोड़ में)					
प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2021-2022	2020-2021		2021-2022	2020-2021
भाग-1 समेकित निधि					
शाखा क: राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	37,309.30*	33,438.27	राजस्व संवितरण (विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें)	36,194.54	33,534.93
कर राजस्व (राज्य द्वारा) (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	9,714.58	8,083.31	वेतन ¹ (विवरणी संख्या 4-ख व परिशिष्ट -1 देखें)	11,990.28	11,641.16
कर-भिन्न राजस्व (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	2,612.36*	2,188.46	सहायता अनुदान ² (विवरणी संख्या 4-ख, 10 व परिशिष्ट -III देखें)	4,973.09	4,553.73
ब्याज प्राप्तियाँ (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	173.95	306.43	सहायता (परिशिष्ट -II देखें)	1,187.99	1,240.63
अन्य (विवरणी संख्या 3- देखें)	2,438.41	1,882.03	सामान्य सेवाएं	11,756.18	11,359.82
संघीय शुल्क/कर के अंश (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	7,349.04	4,753.92	पेंशन (विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें)	6,398.91	6,088.39
			ब्याज अदायगियाँ और ऋण सेवायें (विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें)	4,640.79	4,472.45
केन्द्र सरकार से अनुदान (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	17,633.32	18,412.58	अन्य (विवरणी संख्या 4-क देखें)	716.48	798.98
			सामाजिक सेवाएं	3,727.81	3,415.00
			आर्थिक सेवाएं	2,551.48	1,315.22
			स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन (विवरणी संख्या 4-क व 15 देखें)	7.71	9.37
राजस्व घाटा	...	96.66	राजस्व आधिक्य	1,114.76	...
शाखा ख- पूंजीगत					
पूंजीगत प्राप्तियाँ (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	7.01	2.88	पूंजीगत व्यय (विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें)	6,029.38	5,309.21
			सामान्य सेवाएं (विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें)	389.63	169.54
			सामाजिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें)	1,925.31	1,736.19
			आर्थिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें)	3,714.44	3,403.48
ऋणों एवं अग्रिमों आदि की वसूली (विवरणी संख्या 3,7 व 18 देखें)	40.73	23.02	ऋणों और अग्रिमों के भुगतान (विवरणी संख्या 4-क व 18 देखें)	377.97	320.12
सामान्य सेवायें (विवरणी संख्या 18 देखें)	सामान्य सेवायें (विवरणी संख्या 4 व 18 देखें)
सामाजिक सेवाएं (विवरणी संख्या 18 देखें)	0.16	0.22	सामाजिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4 व 18 देखें)	0.75	1.60
आर्थिक सेवाएं (विवरणी संख्या 18 देखें)	34.90	16.48	आर्थिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4 व 18 देखें)	374.40	315.71
अन्य (विवरणी संख्या 18 देखें)	5.67	6.32	अन्य (विवरणी संख्या 4-ड. व 18 देखें)	2.82	2.81

[1] सभी खण्डों के वेतन, सहायता एवं सहायता अनुदान के आंकड़े, जोड़ कर समेकित राशि दर्शाते हैं। इस विवरणी में खण्ड 'सामाजिक', सामान्य तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन, सहायता एवं सहायता अनुदान (पाद टिप्पणी 2) राजस्व व्यय तथा वेतन, पूंजीगत परिव्यय शामिल नहीं है किसी समय वेतन पूंजीगत परिव्यय में दर्शाए जाते हैं। आंकड़े केवल उद्देश्य 'वेतन' के अन्तर्गत वर्गीकृत व्यय को दर्शाते हैं। (आर.ओ.पी.रहित)

[2] सांघिक निगम, कम्पनियाँ, स्वायत्त संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया जाता है जिसे उपरोक्त पंक्ति में दर्शाया गया है। यह अनुदान स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले कर समानुदेशित निवल आय से भिन्न हैं जिसे अलग से स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

* इनमें ₹4.48 करोड़ बुक समायोजन की राशि सम्मिलित है, पृष्ठ संख्या 62(खण्ड-II) पर पाद टिप्पणी देखें।

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी					
(₹ करोड़ में)					
प्राप्तियां			संवितरण		
	2021-2022	2020-2021		2021-2022	2020-2021
शाखा ख- पूंजीगत					
लोक ऋण प्राप्तियां (विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)	9,334.97	16,749.21	लोक ऋण संवितरण (विवरणी संख्या 4-क 6 व 17 देखें)	4,387.28	11,141.04
आंतरिक ऋण (बाजार ऋण; एन एस एस एफ इत्यादि) (विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)	5,747.47	14,437.34	आंतरिक ऋण # (बाजार ऋण, एन एस एस एफ इत्यादि) (विवरणी संख्या 4-क 6 व 17 देखें)	4,289.65	11,046.90
केन्द्र सरकार से ऋण (विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)	3,587.50	2,311.87	केन्द्र सरकार से ऋण (विवरणी संख्या 4-क 6 व 17 देखें)	97.63	94.14
अन्तर्राज्यीय समाधान (निवल)	अन्तर्राज्यीय समाधान (निवल)
जोड़ समेकित निधि प्राप्तियां (विवरणी संख्या 3 देखें)	46,692.01*	50,213.38	जोड़ समेकित निधि संवितरण (विवरणी संख्या 4 देखें)	46,989.17	50,305.30
समेकित निधि में घाटा	297.16	91.92	समेकित निधि में आधिक्य
भाग-II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	आकस्मिकता निधि
भाग-III लोक लेखा					
लघु बचतें (विवरणी संख्या 21 देखें)	3,562.18	3,665.79	लघु बचतें (विवरणी संख्या 21 देखें)	3,078.54	2,680.28
आरक्षित ऋण परिशोध कोष (विवरणी संख्या 21 देखें)	417.15	564.40	आरक्षित ऋण परिशोध कोष (विवरणी संख्या 21 देखें)	1,160.45	569.51
जमा (विवरणी संख्या 21 देखें)	3,566.08	3,555.45	जमा (विवरणी संख्या 21 देखें)	3,601.06	3,474.10
अग्रिम (विवरणी संख्या 21 देखें)	अग्रिम (विवरणी संख्या 21 देखें)
उचन्त तथा विविध (विवरणी संख्या 21 देखें)	54,944.80	29,974.42	उचन्त तथा विविध ³ (विवरणी संख्या 21 देखें)	54,569.95	30,897.84
प्रेषण (विवरणी संख्या 21 देखें)	6,573.89	6,774.69	प्रेषण (विवरणी संख्या 21 देखें)	6,462.30	6,839.07
जोड़ प्राप्तियां लोक लेखा (विवरणी संख्या 21 देखें)	69,064.10	44,534.75	जोड़ संवितरण लोक लेखा (विवरणी संख्या 21 देखें)	68,872.30	44,460.80
लोक लेखा में घाटा	लोक लेखा में आधिक्य	191.80	73.95
आदि रोकड़ शेष	59.96	77.93	अन्त रोकड़ शेष	(-)45.41	59.96
रोकड़ शेष में वृद्धि	रोकड़ शेष में कमी	105.37	17.97

[3] अन्य लेखे जैसे कि नगद शेष लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादी उचन्त तथा विविध में सम्मिलित है। इन अन्य लेखे की वजह से आंकड़े अत्यधिक प्रतीत हो सकते हैं। कृपया विवरण विवरणी संख्या 21 में देखें।

* विवरण के लिए। पाद टिप्पणी पृष्ठ संख्या 4(खण्ड-I) पर देखें।

³ इनमें केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि का ₹5,69.10 करोड़ शामिल है। (पृष्ठ संख्या 21 (खण्ड-I) और पृष्ठ संख्या 157 (खण्ड-II))

अनुबंध-क
रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

	1 अप्रैल 2021 को	31 मार्च 2022 को
	1	2
	(₹ करोड़ में)	
(क) सामान्य रोकड़ शेष-		
(1) कोषागारों में रोकड़
(2) पारगमन में प्रेषण-स्थानीय
(3) रिजर्व बैंक के पास जमा राशियां *	59.96	(-)45.41 (क)
जोड़	59.96	(-)45.41
(4) "नगद शेष निवेश लेखा" में रखे गए निवेश-	1,696.09	2,568.08
जोड़ (क)	1,756.05	2,522.67
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश-		
(1) विभागीय अधिकारियों अर्थात लोक निर्माण कार्यों इत्यादि के पास रोकड़	0.16	0.16
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03
जोड़ (ख)	0.19	0.19
जोड़ (क) और (ख)	1,756.24	2,522.86

*शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के अधीन जो शेष पड़ा है वह 10 अप्रैल 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक को संज्ञापित वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेने देन से सम्बद्ध अंतर सरकारी मौद्रिक समाधानों को लिए जाने के पश्चात आया है ।

(क) लेखे में दर्शाए ₹45.41 करोड़ (जमा) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों ₹55.52 करोड़ (नामे) में ₹10.11 करोड़ (नामे) का अन्तर था 01 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2022 की अवधि के दौरान किये गये मिलान के उपरान्त यह ₹0.11 करोड़ (नामे) के समाधान के परिणामस्वरूप 31 जुलाई 2022 को ₹10.22 करोड़ (नामे) का अदयतन अंतर हुआ ।

अनुबंध-क

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(क) **नगदी तथा नगदी तुल्यमान:-** नगदी तथा नगदी तुल्यमानों के अन्तर्गत कोषागारों में पड़ी नगदी तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के पास पड़ी जमा राशि तथा पारगमन प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, समाहित होते हैं। शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास पड़ी जमा राशि' उपरोक्त में पड़ा शेष वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेषों को इंगित करता है। समग्र नगदी स्थिती का पता लगाने के लिए कोषागारों, विभागों के रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों आदि में से किए गए निवेशों को 'भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के शेष में जोड़ा गया है।

(ख) **दैनिक नगदी शेष:-** भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए एक अनुबन्ध के अधीन राज्य सरकार को बैंक के पास ₹0.55 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना पड़ता है। यदि किसी दिन भी यह शेष अनुबंधित न्यूनतम शेष से कम हो जाए तो इस कमी को साधारण तथा विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट प्रदान किए जाने के उद्देश्य के लिए दैनिक नगदी शेष* निकाले जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक उस दिवस हेतु रिपोर्ट किए गए लेन-देनों सहित (भारतीय रिजर्व बैंक पटलों, एजेंसी बैंकों द्वारा सूचित अर्न्तसरकारी लेनदेनों तथा कोष लेनदेनों पर) 14-दिवसीय खजाना बिलों की अतिधारिता का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार निकाले गए नगदी शेष में 14-दिवसीय खजाना बिलों, यदि कोई हो, की पूर्णता राशि जमा की जाती है तथा न्यूनतम नगदी शेष रखने के पश्चात अधिक राशि यदि कोई हो, का खजाना बिलों में पुनर्निवेश किया जाता है। यदि निकाला गया शुद्ध नगदी शेष, न्यूनतम नगदी शेष या क्रेडिट शेष से कम आता है तथा यदि उस दिवस को कोई भी 14-दिवसीय खजाना बिलों की पूर्णता नहीं हो रही है तो भारतीय रिजर्व बैंक खजाना बिल को 14 दिनों की अवधि की पुनः छुट देता है ताकि कमी पूरी हो सके। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना बिलों की कोई अतिधारिता नहीं है तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिमों/विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

(ग) **अर्थोपाय अग्रिम:-** राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा 17.04.2020 ₹880.00 करोड़ थी सरकारी प्रतिभूतियों की प्रज्ञाप्ति के अधीन विशेष आहरण सुविधा को प्रदान किए जाने की सहमति बैंक द्वारा भी दी गई है। बैंक द्वारा समय-समय पर विशेष आहरण सुविधा में संशोधन किया जाता है।

* उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) वर्ष के 31 मार्च 2022 का, परन्तु (10 अप्रैल 2022) को निकाला गया, अन्त नगदी शेष है तथा साधारणतः 31 मार्च 2022 का दैनिक शेष नहीं है।

अनुबंध-क
रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

व्याख्यात्मक टिप्पणी

वर्ष 2021-22 के दौरान रिजर्व बैंक के पास सरकार ने जो न्यूनतम नगद शेष रखा था, उसका वर्णन इस प्रकार है:-

(i) कोई भी अग्रिम लिए बिना जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया था	349
(ii) साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया	15
(iii) विशेष आहरण सुविधा लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	1
(iv) उपरोक्त अग्रिमों को लिए जाने के उपरान्त भी, लेकिन कोई ओवरड्राफ्ट लिए बिना, जितने दिनों न्यूनतम शेष में कमी रही	...
(v) जितने दिनों ओवरड्राफ्ट लिया गया	...

रोकड़ शेष की कमी को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान 14 दिन के खजाना बिलों को 126 अवसरों पर ₹52,275.07 करोड़ का निवेश किया गया तथा वर्ष के दौरान 219 अवसरों पर ₹50,609.73 करोड़ रिडिस्काउंट किया और 91 दिन के खजाना बिलों को 01 अवसर पर ₹2,478.23 करोड़ का निवेश किया गया तथा वर्ष 2021-22 के दौरान 02 अवसर पर ₹3,271.58 करोड़ रिडिस्काउंट किये।

रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखे गए निवेशों का विश्लेषण निम्नवत् है:-

	1 अप्रैल 2021 को आदि शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान खरीद	वर्ष 2021-22 के दौरान बिक्री	31 मार्च 2022 को अंतशेष	वर्ष 2021-22 के दौरान ब्याज वसूली
1	2	3	4	5	6
	(₹ करोड़ में)				
भारत सरकार के खजाना बिल	1,696.09	54,753.30	53,881.31	2,568.08	55.50
जोड़	1,696.09	54,753.30	53,881.31	2,568.08	55.50

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

1 - कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

क	विवरण	वास्तविक		
		2021-22	2020-21	
क 1	कर राजस्व			
	अपना कर राजस्व	9,714.58	8,083.31	
	राज्य माल एवं सेवा कर (एस जी एस टी)	4,482.15	3,466.58	
	राज्य आबकारी	1,980.63	1,599.74	
	बिक्री कर (बिक्री तथा व्यापार आदि पर कर)	1,592.24	1,630.11	
	अन्य	726.94	662.82	
	वाहनों पर कर	510.03	380.20	
	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	318.60	253.36	
	माल एवं यात्री कर	99.18	83.55	
	भू-राजस्व	4.81	6.95	
	क 2	कर निवल आगमों का अंश	7,349.04	4,753.92
		निगम कर	2,202.48	1,429.44
		निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	2,169.83	1,464.84
		केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सी जी एस टी)	2,105.41	1,419.55
सीमा शुल्क		510.58	257.07	
संघीय उत्पाद शुल्क		265.82	160.44	
सेवा कर		87.35	19.39	
पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		7.15	3.19	
सम्पत्ति कर		0.40	...	
आय एवं व्यय पर अन्य कर		0.02	...	
जोड़- क कर राजस्व		17,063.62	12,837.23	
ख		कर-भिन्न राजस्व		
		विद्युत	1,183.51	749.12
		शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	257.70	196.08
	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	230.81	252.16	
	ब्याज प्राप्तियां	173.95	306.43	
	लाभांश एवं लाभ	166.53	245.43	
	वानिकी एवं वन्य प्राणी	106.28	49.56	
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	104.90	37.05	
	जल आपूर्ति और स्वच्छता	73.08	66.93	
	लोक निर्माण कार्य	69.00	58.28	
	पुलिस	61.16	59.78	
	सड़कें एवं पुल	21.69	12.89	
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	20.11	13.21	
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	19.17	20.41	
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	17.23	11.15	
	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्त लाभों से सम्बन्धित अशदान और वसूलिया	14.49	14.04	
	विविध सामान्य सेवाएं	14.06*	11.41	
	श्रम और रोजगार	13.94	8.20	
	लेखन सामग्री और मुद्रण	9.81	8.27	
	उद्योग	9.55	8.15	
	फसल कृषि-कर्म	8.19	11.92	
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	6.59	5.65	
	लोक सेवा आयोग	4.84	5.86	
	मत्स्य पालन	4.52	3.16	
	शहरी विकास	4.73	5.95	

* पृष्ठ संख्या 62(खण्ड-II) में पाद टिप्पणी देखें।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

1 - कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

ख	विवरण	वास्तविक	
		2021-22	2020-21
	कर-भिन्न राजस्व		
	आवास	3.89	3.91
	सहकारिता	3.12	9.51
	पर्यटन	2.37	6.46
	पशुपालन	1.81	0.99
	ग्रामीण और लघु उद्योग	1.46	1.30
	सूचना और प्रचार	1.06	1.12
	लघु सिंचाई	0.69	1.17
	अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	0.54	0.77
	अन्य विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम	0.49	0.41
	खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार	0.28	0.71
	सिविल पूर्ति	0.19	0.20
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.16	0.07
	जेल	0.15	0.24
	सड़क परिवहन	0.14	0.24
	मुख्य सिंचाई	0.04	0.01
	मध्यम सिंचाई	0.05	0.23
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.03	...
	आपूर्ति और निपटान	0.02	0.01
	पौधारोपण	0.02	0.01
	परिवार कल्याण	0.01	0.01
	जोड़ -ख कर-भिन्न राजस्व	2,612.36*	2,188.46

* पृष्ठ संख्या 4* (खण्ड-1) में पाद टिप्पणी देखें।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

॥ -भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2021-22	2020-21
ग	सहायता अनुदान एवं अंशदान		
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		
ग-6	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	5,420.75*	4,221.29
ग-7	वित्त आयोग अनुदान	11,044.26	12,424.10
ग-8	राज्य/विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेश को अनुदान /अन्य अन्तरण	1,168.31	1,767.19
	जोड़ -ग सहायता अनुदान एवं अंशदान	17,633.32	18,412.58
	जोड़ राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)	37,309.30**	33,438.27

* इनमें ₹830.57 करोड़ वर्ष 2021-22 में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना की राशि सम्मिलित है। पृष्ठ संख्या 71 (खण्ड-II) में पाद टिप्पणी देखे।

** पृष्ठ संख्या 4* (खण्ड-I) में पाद टिप्पणी देखे।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

III -पूंजीगत, लोक ऋण व अन्य प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक		
		2021-22	2020-21	
घ	पूंजीगत प्राप्तियां			
	विनिवेश प्राप्तियाँ	
	अन्य	7.01	2.88	
	जोड़ घ पूंजीगत प्राप्तियां	7.01	2.88	
ड.	लोक ऋण प्राप्तियां			
	आन्तरिक ऋण	5,747.47	1,44,37.34	
	बाजार ऋण	4,000.00	60,00.00	
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम ¹	1,043.49	77,44.48	
	बांड	
	वित्तीय संस्थानों से ऋण	703.98	6,92.86	
	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	
	अन्य ऋण	
	केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	3,587.50	23,11.87	
	आयोजनेतर ऋण	...	0.07	
	राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	...	23,11.80	
	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	
	अन्य ऋण	3,587.50	...	
	जोड़ ड.-लोक ऋण	9,334.97	1,67,49.21	
	च	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण (वसूलियां)।	40.73	23.02
	छ	अन्तर्राज्यीय समाधान
समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)		46,692.01**	5,02,13.38	

*विस्तृत विवरण के लिए विवरण संख्या 18 खण्ड-II देखें ।

** विवरण के लिए * पाद टिप्पणी पृष्ठ संख्या-5 (खण्ड-I) देखें ।

1 डब्ल्यू.एम.ए: अर्थोपाय अग्रिम

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
क	सामान्य सेवाएं				
क.1	राज्य के अंग	352.29	352.29
	संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मण्डल	45.72	45.72
	राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासक	7.94	7.94
	मन्त्री परिषद	15.47	15.47
	न्याय प्रशासन	216.63	216.63
	निर्वाचन	66.53	66.53
क.2	राजकोषीय सेवाएं	289.86	289.86
	भू-राजस्व	175.47	175.47
	स्टाम्प और पंजीकरण	4.90	4.90
	राज्य उत्पाद शुल्क	8.27	8.27
	वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	28.94	28.94
	वाहनों पर कर	12.63	12.63
	राज्यों के माल और सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क	5.37	5.37
	पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	53.20	53.20
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.08	1.08
क.3	ब्याज भुगतान	4,640.79	4,640.79
	ब्याज अदायगियां	4,640.79	4,640.79
क.4	प्रशासनिक सेवाएं	2,187.86	389.63	...	2,577.49
	लोक सेवा आयोग	22.56	22.56
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	83.89	83.89
	जिला प्रशासन	192.73	192.73
	कोषागार और लेखा प्रशासन	77.26	77.26
	पुलिस	1,208.20	98.88	...	1,307.08
	जेल	37.02	37.02
	आपूर्ति और निपटान	1.40	1.40
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	27.99	0.42	...	28.41
	लोक निर्माण कार्य	383.50	274.34	...	657.84
	सतर्कता	32.14	32.14
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	121.17	15.99	...	137.16
क.5	पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं	6,428.96	6,428.96
	पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	6,398.90	6,398.90
	विविध सामान्य सेवाएं	30.06	30.06
	जोड़-सामान्य सेवाएं	13,899.76	389.63	...	14,289.39
ख	सामाजिक सेवाएं-				
ख.1	शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति	6,708.29	488.72	0.75	7,197.76
	सामान्य शिक्षा	6,592.01	488.72	0.75	7,081.48
	तकनीकी शिक्षा	73.72	73.72
	क्रीड़ा और युवा सेवाएं	19.01	19.01
	कला और संस्कृति	23.55	23.55
ख.2	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2,577.27	293.80	...	2,871.07
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1,909.17	293.80	...	2,202.97
	परिवार कल्याण	668.10	668.10

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़	
ख	सामाजिक सेवाएं -समाप्त				
ख.3	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	2,140.40	1,113.09	...	3,253.49
	जलापूर्ति और स्वच्छता	1,210.68	1,011.89	...	2,222.57
	आवास	131.53	39.72	...	171.25
	शहरी विकास	798.19	61.48	...	859.67
ख.4	सूचना तथा प्रसारण	58.71	0.63	...	59.34
	सूचना तथा प्रचार	58.71	0.63	...	59.34
ख.5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	155.79	12.67	...	168.46
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	155.79	12.67	...	168.46
ख.6	श्रम और श्रम कल्याण	261.83	261.83
	श्रम रोजगार और कौशल विकास	261.83	261.83
ख.7	सामाजिक कल्याण और पोषण	1,956.45	14.39	...	1,970.84
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,505.29	14.39	...	1,519.68
	पोषण	88.16	88.16
	प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	363.00	363.00
ख.8	अन्य	23.67	2.01	...	25.68
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.33	2.01	...	2.34
	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	23.34	23.34
	जोड़-सामाजिक सेवाएं	13,882.41	1,925.31	0.75	15,808.47
ग.	आर्थिक सेवाएं				
ग.1	कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप	2,568.72	89.89	4.00	2,662.61
	फसल कृषि-कर्म	773.75	11.21	...	784.96
	मृदा तथा जल संरक्षण	124.97	36.97	...	161.94
	पशुपालन	375.81	19.42	...	395.23
	डेयरी विकास	30.33	30.33
	मत्स्य पालन	23.63	3.93	...	27.56
	वानिकी और वन्य प्राणी	609.23	17.58	...	626.81
	पौधारोपण	1.10	1.10
	खाद्य भण्डारण और भाण्डागार	350.39	0.53	...	350.92
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	244.14	244.14
	सहकारिता	35.37	0.25	4.00	39.62
ग.2	ग्रामीण विकास	1,286.06	38.52	...	1,324.58
	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	110.47	110.47
	ग्रामीण रोजगार	381.12	381.12
	भूमि सुधार	2.27	2.27
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	792.20	38.52	...	830.72
ग.3	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	394.51	312.50	...	707.01
	मुख्य सिंचाई	10.35	10.35
	मध्यम सिंचाई	12.08	19.47	...	31.55
	लघु सिंचाई	369.35	190.21	...	559.56
	कमाण्ड क्षेत्र विकास	...	71.00	...	71.00
	बाढ़ नियन्त्रण और जल निकास	2.73	31.82	...	34.55

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ग. आर्थिक सेवाएं समाप्त				
ग.4 ऊर्जा	1,649.91	128.00	370.40	2,148.31
बिजली	1,645.69	128.00	370.40	2,144.09
नई तथा नवीनीकरण ऊर्जा	4.22	4.22
ग.5 उद्योग और खनिज	194.64	122.73	...	317.37
ग्रामीण तथा लघु उद्योग	167.20	122.73	...	289.93
उद्योग	16.67	16.67
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	10.77	10.77
ग.6 परिवहन	2,124.55	2,602.47	...	4,727.02
भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइन	...	213.00	...	213.00
नागरिक विमानन	4.90	15.15	...	20.05
सड़कें और पुल	1,570.11	2,162.98	...	3,733.09
सड़क परिवहन	544.81	205.93	...	750.74
अन्य परिवहन सेवाएं	4.73	5.41	...	10.14
ग.7 विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	15.96	15.96
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13.56	13.56
परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण	2.40	2.40
ग.8 सामान्य आर्थिक सेवाएं	170.31	420.33	...	590.64
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	28.89	28.89
पर्यटन	113.95	89.81	...	203.76
जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	10.56	10.56
नागरिक आपूर्ति	14.33	14.33
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2.58	330.52	...	333.10
जोड़-ग आर्थिक सेवाएं	8,404.66	3,714.44	374.40	12,493.50
घ. सहायता अनुदान और अंशदान				
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	7.71	7.71
जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान	7.71	7.71
ड. सरकारी कर्मचारियों को ऋण				
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	2.82	2.82
जोड़-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	2.82	2.82
च. लोक ऋण				
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	4,289.65	4,289.65
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	97.63	97.63
जोड़-लोक ऋण	4,387.28	4,387.28
जोड़-समेकित निधि व्यय	36,194.54	6,029.38	4,765.25	46,989.17

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

ख. व्यय की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

व्यय का विवरण	2021-22			2020-21			2019-20		
	राजस्व	पूँजीगत	जोड़	राजस्व	पूँजीगत	जोड़	राजस्व	पूँजीगत	जोड़
वेतन	11,990.28	...	11,990.28	11,641.16	...	11,641.16	11,477.37	...	11,477.37
पेन्शन	6,398.91	...	6,398.91	6,088.39	...	6,088.39	5,489.75	...	5,489.75
ब्याज	4,640.79	...	4,640.79	4,472.45	...	4,472.45	4,234.02	...	4,234.02
मुश्किल	2,056.04	...	2,056.04	2,128.75	...	2,128.75	2,196.31	...	2,196.31
सहायता अनुदान (गैर वेतन)	2,459.75	...	2,459.75*	2,015.70	...	2,015.70	1,337.25	...	1,337.25
सहायता अनुदान	1,687.79	...	1,687.79	1,507.74	...	1,507.74	1,324.53	...	1,324.53
अन्य प्रभार	3,047.32	...	3,047.32	1,783.39	...	1,783.39	1,511.67	...	1,511.67
उच्च	1,000.64	...	1,000.64	1,266.77	...	1,266.77	887.90	...	887.90
उपदान	1,187.99	...	1,187.99	1,240.63	...	1,240.63	1,067.78	...	1,067.78
पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान	833.26	...	833.26	1,039.67	...	1,039.67	844.71	...	844.71
सामाजिक सुरक्षा पेंशन	915.13	...	915.13	862.06	...	862.06	725.16	...	725.16
सामग्री एवं आपूर्ति	486.54	41.28	527.82	453.18	49.81	502.99	323.17	51.82	374.99
उर्जा प्रभार	464.43	...	464.43	402.93	...	402.93	379.72	...	379.72
मानदेय	352.82	...	352.82	318.58	...	318.58	296.44	...	296.44
मजदूरी	202.24	...	202.24	262.51	...	262.51	264.86	...	264.86
कार्यालय व्यय	200.48	...	200.48	191.68	...	191.68	156.32	...	156.32
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	176.24	...	176.24	156.56	...	156.56	164.18	...	164.18
आऊट सोर्स कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक	150.64	...	150.64	96.62	...	96.62	74.92	...	74.92
लघु कार्य	211.40	...	211.40	89.42	...	89.42	70.33	...	70.33
मोटर वाहन	58.11	...	58.11	44.64	...	44.64	63.59	...	63.59
विज्ञापन एवं प्रचार	49.84	...	49.84	44.07	...	44.07	35.85	...	35.85
छात्रवृत्ति, वजीफा एवं रियायत	70.01	...	70.01	59.01	...	59.01	29.57	...	29.57
व्यवसायिक तथा विशेष सेवाएँ	23.52	...	23.52	38.14	...	38.14	26.31	...	26.31
यात्रा व्यय	35.02	...	35.02	31.88	...	31.88	48.49	...	48.49
किराया, कर एवं उपकर	29.65	...	29.65	28.25	...	28.25	25.99	...	25.99
अन्य	22.23	...	22.23	27.37	...	27.37	22.95	...	22.95
मशीनरी व उपस्कर	44.73	60.06	104.79	19.68	64.58	84.26	34.14	60.54	94.68
निवेश	...	352.36	352.36	...	302.80	302.80	...	413.76	413.76
मुख्य कार्य	...	5,563.93	5,563.93	...	4,834.44	4,834.44	...	4,510.87	4,510.87
मुआवजा	464.41	59.73	524.14	...	114.51	114.51	6.23	198.13	204.36
भूमि	26.54	...	26.54	14.65	...	14.65
सकल राशि	39,286.75	6,077.36	45,364.11	36,311.23	5,366.14	41,677.37	33,134.16	5,235.12	38,369.28
घटाएँ-वसूली	3,092.21	47.98	3,140.19	2,776.30	56.93	2,833.23	2,403.73	61.21	2,464.94
जोड़	36,194.54	6,029.38	42,223.92	33,534.93	5,309.21	38,844.14	30,730.43	5,173.91	35,904.34

*इन्में ₹7.71 करोड़ स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं (मुख्य शीर्ष-3604) को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन सम्मिलित है।

टिप्पणी:- कुल सहायता अनुदान ₹4,973.09 करोड़, {(सहायता अनुदान ₹1,687.79 करोड़ + सहायता अनुदान ₹2,452.04 करोड़ (गैर वेतन) + पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान ₹833.26 करोड़ राजस्व संवितरण)}

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					(₹ करोड़ में)
4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.08	...	0.08	...
4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	45.28	496.97	98.88	595.85	118.37
4058 लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	0.42	4.95	0.42	5.37	...
4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	115.70	1,460.76	274.34	1,735.10	137.11
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8.14	91.44	15.99	107.43	96.44
जोड़-क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	169.54	2,054.20	389.63	2,443.83	129.82
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, ग, घ, ङ, छ, ज)					
(क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा					
4202 शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	355.54	3,785.94	488.72	4,274.66	37.46
जोड़- ख (क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा	355.54	3,785.94	488.72	4,274.66	37.46
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-					
4210 चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	302.05	2,421.92	293.82	2,715.74	(-)-2.72
4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	33.22	...	33.22	...
जोड़-ख (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-	302.05	2,455.14	293.82	2,748.96	(-)-2.72
(ग) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-					
4215 जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	1,001.51	7,488.55	1,011.88	8,500.43	1.04
4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय	35.83	1,041.17	39.73	1,080.90	10.88
4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	29.06	204.71	61.47	266.18	111.53
जोड़- ख (ग) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-	1,066.40	8,734.43	1,113.08	9,847.51	4.38
(घ) सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा-					
4220 सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.77	10.41	0.63	11.04	(-)-18.18
जोड़- ख (घ) सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा-	0.77	10.41	0.63	11.04	(-)-18.18

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
					(₹ करोड़ में)
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, ग, घ, ङ, छ, ज) समाप्त					
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-					
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6.03	212.18	12.66	224.84	109.95
जोड़- ख (ङ.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-	6.03	212.18	12.66	224.84	109.95
(छ) सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा-					
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	3.26	126.63	14.40	141.03	341.72
जोड़- ख (छ) सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा-	3.26	126.63	14.40	141.03	341.72
(ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.14	14.29	2.01	16.30	(-)6.07
जोड़- ख (ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	2.14	14.29	2.01	16.30	(-)6.07
जोड़-ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	1,736.19	15,339.02	1,925.32	17,264.34	10.89
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ङ, च, छ, ज)					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों का पूंजीगत लेखा					
4401 फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	15.53	124.73	11.21	135.94	(-)27.82
4402 भू तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	32.55	496.44	36.99	533.43	13.64
4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	20.72	151.02	19.42	170.44	(-)6.27
4404 डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.38	...	5.38	...
4405 मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	5.63	52.86	3.93	56.79	(-)30.20
4406 वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय	18.38	179.59	17.58	197.17	(-)4.35
4408 खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.15	39.26	0.51	39.77	240.00

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
(₹ करोड़ में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ङ, च, छ, ज)-क्रमशः					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों का पूंजीगत लेखा-समाप्त					
4415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.42	...	3.42	...
4416 कृषि वित्तीय संस्थान पर पूंजीगत परिव्यय	...	9.49	...	9.49	...
4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.13	78.54	0.25	78.79	92.31
4435 अन्य कृषि कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.21	...	2.21	...
जोड़-ग (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों का पूंजीगत लेखा	93.09	1,142.94	89.89	1,232.83	(-3.44)
(ख) ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा					
4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	10.36	66.16	38.53	104.69	271.91
जोड़-ग (ख) ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा	10.36	66.16	38.53	104.69	271.91
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा					
4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	...	282.82	0.01	282.83	100.00
4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	70.01	727.21	19.47	746.68	(-72.19)
4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	226.53	2,607.20	190.22	2,797.42	(-16.03)
4705 कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	33.19	309.96	70.99	380.95	113.89
4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	56.92	1,506.73	31.81	1,538.54	(-44.11)
जोड़-ग (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा	386.65	5,433.92	312.50	5,746.42	(-19.17)
(ङ.) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-					
4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	196.98	3,324.03	127.99	3,452.02	(-35.02)
जोड़-ग (ङ.) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	196.98	3,324.03	127.99	3,452.02	(-35.02)
(च.) उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा					
4851 ग्रामीण तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	17.27	485.89	122.74	608.63	610.71
4853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.12	...	0.12	...
4858 अभियांत्रिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.87	...	3.87	...
4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.97	...	2.97	...

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक प्रगामी व्यय	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2021-22 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5	6
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ङ, च, छ, ज)-समाप्त					(₹ करोड़ में)
(च.) उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा -समाप्त					
4885 उद्योगों तथा खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	...	70.34	...	70.34	...
जोड़-ग (च) उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा	17.27	563.19	122.74	685.93	610.71
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा					
5002 भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय	100.00	456.60	213.00	669.60	113.00
5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	7.66	107.57	15.15	122.72	97.78
5054 सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	2,315.55	18,150.06	2,162.96	20,313.02	(-)6.59
5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	85.99	1,097.84	205.94	1,303.78	139.48
5056 अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	2.01	2.19	0.01	2.20	(-)100.00
5075 अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10.75	10.75	5.40	16.15	(-)49.76
जोड़-ग (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा	2,521.96	19,825.01	2,602.46	22,427.47	3.19
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					
5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	30.00	212.39	89.80	302.19	199.33
5465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...	3.29	...	3.29	...
5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	147.17	1,465.96	330.52	1,796.48	124.58
जोड़-ग(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	177.17	1,681.64	420.32	2,101.96	137.23
जोड़-ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	3,403.48	32,036.89	3,714.43	35,751.32	9.14
सकल योग	5,309.21	49,430.11	6,029.38	55,459.49	13.56

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

2021-22, में सरकार ने सांविधिक निगमों/बोर्डों, में ₹194.94 करोड़, सरकार तथा अन्य कम्पनियों में ₹157.05 करोड़ तथा सहकारी वर्ष के दौरान सहकारी बैंक, के द्वारा ₹शुन्य करोड़, सहकारी समितियों के द्वारा ₹1.77 करोड़, की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया तथा ₹0.02 करोड़ पिछले वर्ष की समाधान राशि को इस वर्ष जमा किया और ₹0.01 करोड़ कम किया गया। समितियों में ₹0.37 करोड़ का निवेश किया।

वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के अन्त तक विभिन्न प्रतिष्ठानों की शेयर पूंजी एवं ऋण पत्रों में सरकार का कुल निवेश क्रमशः ₹4,261.06 करोड़, ₹4,562.40 करोड़, तथा ₹4,913.00 करोड़, था। उन पर वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के अन्त तक क्रमशः ₹248.44 करोड़, ₹245.43 करोड़, तथा ₹166.53 करोड़ लामांश प्राप्त किया।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी ¹

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान		प्रतिशतता कुल दायित्व
					निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		
					राशि	प्रतिशत	
(₹ करोड़ में)							
क. लोक ऋण							
6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण							
बाजार ऋण	31,897.16	4,000.00	2,125.00	33,772.16	1,875.00	5.88	45.93
मुआवजा तथा अन्य बॉन्ड	2,890.50	2,890.50	3.93
वित्तीय संस्थानों से ऋण	3,171.69	703.98	552.06	3,323.61	151.92	4.79	4.52
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	4,958.86	...	569.10	4,389.76	(-)569.10	(-)11.48	5.97
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	...	1,043.49	1,043.49
जोड़-6003	42,918.21	5,747.47	4,289.65	44,376.03	1,457.82	3.40	60.35
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम							
01 आयोजनेतर ऋण							
201 गृह निर्माण अग्रिम	0.20	...	0.04	0.16	(-)0.04	(-)20.00	...
800 अन्य ऋण	2.17	...	0.39	1.78	(-)0.39	(-)17.97	...
जोड़-01	2.37	...	0.43	1.94	(-)0.43	(-)18.14	...
02-राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण							
101 ब्लाक ऋण	3,113.34	...	51.72	3,061.62	(-)51.72	(-)1.66	4.16
105 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप समेकित राज्य योजनागत ऋण	145.70	...	45.29	100.41	(-)45.29	(-)31.08	0.14
जोड़-02	3,259.04	...	97.01	3,162.03	(-)97.01	(-)2.98	4.30

¹विस्तृत लेखे के लिए पृष्ठ 157 से 158 (खण्ड- II) देखें।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2022 को शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		प्रतिशतता कुल दायित्व
					राशि	प्रतिशत	
(₹ करोड़ में)							
क. लोक ऋण-समाप्त							
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम-समाप्त							
07 1984-85 से पूर्वकालिक ऋण							
102 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति स्कीम	0.13	0.13
जोड़-07	0.13	0.13
<i>09 राज्यों/विधान मण्डल संघ राज्य क्षेत्र वाले की स्कीमों के लिए अन्य ऋण</i>							
101 ब्लाक ऋण	...	3,587.50	0.19	3,587.31	3,587.31	100.00	4.88
जोड़-09	...	3,587.50	0.19	3,587.31	3,587.31	100.00	4.88
जोड़-6004	3,261.54	3,587.50	97.63	6,751.41	3,489.87	107.00	9.18
जोड़-क लोक ऋण	46,179.75	9,334.97	4,387.28	51,127.44	4,947.69	10.71	69.53
ख-अन्य दायित्व							
लोक लेखा							
लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	16,522.64	3,562.18	3,078.54	17,006.28	483.64	2.93	23.13
सब्याज आरक्षित निधियां	1,882.54	417.15	641.79	1,657.90	(-)224.64	(-)11.93	2.25
ब्याज रहित आरक्षित निधियां	834.66	...	518.66	316.00	(-)518.66	(-)62.14	0.43
सब्याज जमा राशियां	7.66	1,133.19	1,126.55	14.30	6.64	86.68	0.02
ब्याज रहित जमा राशियां	3,454.50	2,432.89	2,474.51	3,412.88	(-)41.62	(-)1.20	4.64
जोड़-ख-अन्य दायित्व	22,702.00	7,545.41	7,840.05	22,407.36	(-)294.64	(-)1.30	30.47
जोड़-लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	68,881.75	16,880.38	12,227.33	73,534.80	4,653.05 *	6.76	100.00

* चालु वर्ष के राजकोषीय घाटा से भिन्नता वर्ष के दौरान निवल सिविल अग्रिम, उच्चत व विविधे, प्रेषण तथा रोकड़ शेष राशि का गणना मे न लिया जाना । राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए विवरणी सख्या-12 पृष्ठ संख्या 37 में देखे

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. **ऋण परिशोधन के लिए प्रबन्ध-** खुले बाजार में लिए गए ऋणों के परिशोधन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध नहीं किए गए हैं-

2. **लघु बचत निधि से ऋण-** लघु बचत योजना तथा डाकघरों में 'लोक भविष्य निधि', एकत्रित राशि में प्राप्त ऋण केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा 3:1 अनुपात में सांझा किया जाता है। 1999-2000 में एक अलग निधि 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' का 'लघु बचत संवित' राशि में से ऋण जारी करने हेतु एक अलग निधि जैसे राष्ट्रीय लघु बचत निधि का सृजन किया गया। 2021-22 में, ₹569.10 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष के अन्त तक शेष राशि ₹4,389.76 करोड़ जो 31 मार्च, 2022 तक राज्य सरकार की कुल लोक ऋण का 9.89 प्रतिशत था ।

3. **राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण, बाजार ऋण इत्यादि**

(क) **बाजार ऋण-** खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष के दौरान सरकार ने 8 ऋण ₹500.00 करोड़, ₹500.00 करोड़, ₹500.00 करोड़, ₹500.00 करोड़, ₹500.00 करोड़, ₹500.00 करोड़, ₹500.00 करोड़, तथा ₹500.00 करोड़ क्रमशः 6.98 प्रतिशत, 6.93 प्रतिशत, 6.86 प्रतिशत, 6.91 प्रतिशत, 6.93 प्रतिशत, 6.92 प्रतिशत, 7.14 प्रतिशत, तथा 7.03 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से समतुल्य ऋण जारी किए जो नगद वसूल हुए। ये ऋण, सितम्बर 2032, सितम्बर 2031, नवम्बर 2030, नवम्बर 2031, नवम्बर 2032, नवम्बर 2033, दिसम्बर 2033, तथा दिसम्बर 2031, में विमोच्य है।

9 दीर्घकालीन ऋण अर्थात् 8.85 प्रतिशत, 9.20 प्रतिशत, 8.83 प्रतिशत, 8.60 प्रतिशत, 8.73 प्रतिशत, 8.73 प्रतिशत, 7.52 प्रतिशत, 7.79 प्रतिशत, तथा 8.94 प्रतिशत, की दर से ₹100.00 करोड़, ₹205.00 करोड़, ₹200.00 करोड़, ₹250.00 करोड़, ₹160.00 करोड़, ₹200.00 करोड़, ₹300.00 करोड़, ₹300.00 करोड़, तथा ₹410.00 करोड़ वर्ष के दौरान उन्मोचन हेतु अधिसूचित किये गये।

(ख) **भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण-** ये भी दीर्घकालीन सब्याज ऋण है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के लिए दिए जाते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा मानी गई शर्तों के अनुस्रम लौटाये जाते हैं। इस वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 2.94 करोड़ की राशि लौटा दी गई थी।

(ग) **कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋण-** ये ऋण कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितिओं के लिए दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस बैंक से ₹699.98 करोड़ की राशि ली गई थी, तथा ₹505.15 करोड़ वापिस किए गए । वर्ष के अन्त तक बकाया शेष ₹3,164.12 करोड़, है।

(घ) **मुआवजा और अन्य बाँड-** वर्ष के दौरान ₹2,890.50 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), हिमाचल प्रदेश विशेष बाँड के तहत प्राप्त की गई। वर्ष के दौरान इस ऋण के तहत न तो कोई ऋण प्राप्त किया गया और न ही कोई भुगतान किया गया।

(ङ.) **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण-** ये ऋण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान ₹23.62 करोड़ की राशि ली गई तथा वर्ष के दौरान ₹3.99 करोड़ वापिस किए गए । वर्ष के अन्त तक ₹120.43 करोड़, बकाया शेष है।

(च) **अन्य संस्थानों से ऋण-** ये ऋण विभिन्न स्वायत्त निकायों द्वारा जैसे कि न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी, आरिपेण्टल फायर इश्योरेंस कम्पनी, नगर निगम को ऋण (एल.आई.सी.) तथा एस. एल. आर. उधार से ऋण (एल.आई.सी.) वर्ष के दौरान ₹20.35 करोड़, की वापसी की गई। वर्ष के अन्त तक ₹20.38 करोड़, बकाया शेष है।

(छ) **भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम-** भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय ऋण- रिजर्व बैंक के साथ रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद जैसे ₹0.55 करोड़ को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से समय-2 पर आर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं वर्ष 2021-22 के दौरान साधारण आर्थोपाय अग्रिम ₹832.85 करोड़ की राशि ली गई तथा विशेष आहरण राशि के रूम में ₹210.64 करोड़ की राशी ली गई और ₹832.85 करोड़ व ₹210.64 करोड़ की गई ।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी
व्याख्यात्मक टिप्पणियां

4. ऋण का उपयोग:-

ऋण और अन्य दायित्व पर ब्याज:- वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान प्रभारित ब्याज के कारण राजस्व में से लिए गए सकल बकाया ऋण और अन्य दायित्वों तथा कुल निवल राशि निम्नलिखित थी:-

	2021-22	2020-21	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि (+) / कमी (-)
			(₹ करोड़ में)
(i) वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधि इत्यादि	68,133.72	62,702.39	5,431.33
(ख) अन्य दायित्व	5,401.08	6,179.36	(-)778.28
जोड़ (i)	73,534.80	68,881.75	4,653.05
(ii) सरकार द्वारा अदा किया गया ब्याज			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधियां आदि पर	4,588.66	4,364.95	223.71
(ख) अन्य दायित्व पर	52.13	107.50	(-)55.37
जोड़ (ii)	4,640.79	4,472.45	168.34
(iii) घटाये			
(क) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	97.72	248.98	(-)151.26
(ख) रोकड़ शेष के निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज	55.50	31.88	23.62
जोड़ (iii)	153.22	280.86	(-)127.64
(iv) ब्याज की प्रभारों की निवल	4,487.57	4,191.59	295.98
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति सकल ब्याज की प्रतिशतता (मद ii)	12.44	13.38	(-)0.94
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति निवल ब्याज (मद iv) की प्रतिशतता	12.18	12.54	(-)0.36

टिप्पणी:- सरकार ने वर्ष के दौरान लोक उपक्रमों और अन्य निवेशों अदि से ₹166.53 करोड़ लाभांश के रूप में प्राप्त किए। (मुख्य शीर्ष-0050 पृष्ठ 60 खण्ड-II) देखें।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी
भाग-1 ऋण एवं अग्रिम का सार: उधारग्रहीता समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2022 के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (2-6)	ब्याज का बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम	7.57	7.57	...	*
शहरी विकास प्राधिकरण	0.01	0.01	...	*
आवासीय बोर्ड	1.16	1.16	...	*
सांविधिक निगम	6,180.58	270.23	6,450.81	270.23	*
सहकारी समितियां/सहकारी बैंक	168.83	3.99	34.90	...	137.92	(-)30.91	*
पंचायती राज संस्थाएं	0.27	0.27	...	*
सरकारी कर्मचारी	28.34	2.82	5.67	...	25.49	(-)2.85	*
अन्य	1,300.83	100.93	0.16	...	1,401.60	100.75	*
जोड़-	7,687.59	377.97	40.73	...	8,024.83	337.24	*

शाश्वत ऋणों के रूप में स्वीकृत ऋण के निम्नलिखित मामले हैं।

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश संख्या	राशि	ब्याज दर
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (एचपीएमसी)	2011-12	एचटीसी-एफ(11)3/2011	7.00	ब्याज रहित
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (एचपीएमसी)	2012-13	एचटीसी-एफ(1)3/2010(खण्ड -II)	5.00	ब्याज रहित
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (एचपीएमसी)	2017-18	एचटीसी-एफ(11)1/2013	8.00	ब्याज रहित

*उपलब्ध नहीं है

टिप्पणियां: ब्योरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विस्तृत विवरण का भाग I देखें (पृष्ठ संख्या 169 से 172 खण्ड-II देखें)

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी
भाग-2 ऋणों एवं अग्रिमों का सारांश: क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल 2021 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2022 के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष 2021-22 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (2-6)	बकाया ब्याज अदायगी
1	2	3	4	5	6	7	8
सामाजिक सेवाएं	30.01	0.75	0.16	...	30.60	0.59	...
आर्थिक सेवाएं	7,628.22	374.40	34.90	...	7,967.72	339.50	...
अन्य सेवाएं	29.36	2.82	5.67	...	26.51	(-)2.85	...
जोड़-	7,687.59	377.97	40.73	...	8,024.83	337.24	...

भाग-3 ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकोतियों का सारांश

ऋणी संस्था	31 मार्च 2022 को बकाया राशि			शीघ्रतन अवधि जिसमें बकाया सम्बंधित है	31 मार्च 2022 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़		
1	2	3	4	5	6
नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम	0.57	...	0.57	2001-02	7.57
आवासीय बोर्ड	1.16	...	1.16	2009-10	1.16
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	14.54	...	14.54	2015-16	60.09
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	5.61	...	5.61	1987-88	5.61
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि0	74.75	...	74.75	1987-88	2,977.93
सामान्य वित्तीय संस्थाएँ	0.10	...	0.10	1985-86	0.10
जोड़-	96.73	...	96.73		3,052.46

8. सरकार के निवेशों की विवरणी

भाग-1: विभिन्न संस्थानों में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान सरकार के निवेश प्रतिदेय शेयर एवं ऋणपत्र का तुलनात्मक सार.

(₹ करोड़ में)

प्रतिष्ठान का नाम	2021-22			2020-21		
	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति
1. सांविधिक निगम/बोर्ड	6	1,988.27	0.38	6	1,793.32	0.35
2. सरकारी कम्पनियां	27	1,771.09	1.89	24	1,607.89	1.89
3. अन्य सयुंक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार						
(i) केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां	1	1,098.14	163.53	1	1,098.14	242.65
(ii) अन्य कम्पनियां	13	0.10	0.01	13	0.10	0.01
जोड़- सयुंक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार	14	1,098.24	163.54	14	1,098.24	242.66
4. सहकारी बैंक	9	13.37	0.24	9	13.38	0.03
5. सहकारी समितियां और स्थानीय निकाय						
(i) सहकारी समितियां	15	42.03	0.48	17	49.57	0.50
जोड़-	71	4,913.00	166.53	70	4,562.40	245.43

9. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी

क. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गए ऋण आदि की चुकौती के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां एवं विभिन्न क्षेत्रों में 31 मार्च 2022 तक बकाया प्रत्याभूत राशियां नीचे दिखाई गई है:-

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र(कोष्ठक के अन्तर्गत गारंटियों की संख्या)	वर्ष 2021-22 के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि	वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त गारंटियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष 2021-22 के अन्त में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य सामग्री विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विद्युत (6)*	1,400.67	1,250.90	137.83	119.25	1,269.48	3.31
सहकारी बैंक (1)*	...	252.62	80.95	76.41	257.16
स्थानीय निकाय (1)*	...	4.67	...	0.16	4.51
अन्य संस्थान (18)* (क)	634.70	370.05	70.68	87.27	353.46	0.72	3.00	...
जोड़	2,035.37	1,878.24	289.46	283.09	1,884.61	4.03	3.00	...

(क) बकाया प्रारम्भिक शेष पिछले वर्ष के अथशेष से भिन्न है। क्योंकि पिछले वर्ष विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी सही नहीं थी।

* कोष्ठकों के आंकड़े संस्थानों की संख्या दर्शाते हैं।

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(i) रोकड़ में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/अनुदानग्राही की श्रेणी	सहायता अनुदान के स्म में जारी कुल निधियां			कॉलम 2 के अर्न्तगत कुल निधि से जारी किया गया पुंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान		
1	2			3		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजना)	जोड़	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजना)	जोड़
(₹ करोड़ में)						
1. पंचायती राज संस्थाए-						
(i) जिला परिषद	210.52	...	210.52	31.53	...	31.53
(ii) पंचायत समीतियां	60.05	...	60.05	39.95	...	39.95
(iii) ग्राम पंचायतें	413.13	140.46	553.59	154.68	15.42	170.10
जोड़-	683.70	140.46	824.16	226.16	15.42	241.58
2. स्थानीय शहरी निकाय-						
(i) नगर निगम	244.12	121.61	365.73	168.50	59.91	228.41
(ii) नगर पालिका/नगर परिषद	303.74	60.55	364.29	94.75	44.52	139.27
(iii) अन्य	11.54	32.97	44.51
जोड़-	559.40	215.13	774.53	263.25	104.43	367.68
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-						
(i) सरकारी कम्पनियां	1.74	...	1.74
(ii) सांविधिक निगम	377.34	5.00	382.34
जोड़-	379.08	5.00	384.08
4. स्वायत्त निकाय-						
(i) विश्वविद्यालय	392.88	16.07	408.95	10.39	...	10.39
(ii) विकास प्राधिकरण	93.38	50.63	144.01	26.48	2.50	28.98
(iii) सहकारी संस्थान	52.65	3.67	56.32	2.10	...	2.10
(iv) अन्य	96.79	24.54	121.33	26.64	2.00	28.64
जोड़-	635.70	94.91	730.61	65.61	4.50	70.11

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(i) रोकड़ में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/अनुदानग्राही की श्रेणी	सहायता अनुदान के स्म में जारी कुल निधियां			कॉलम 2 के अर्न्तगत कुल निधि से जारी किया गया पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान		
1	2			3		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजना)	जोड़	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजना)	जोड़
(₹ करोड़ में)						
5. शिक्षा-						
(i) प्रारम्भिक शिक्षा	67.41	365.31	432.72
(ii) माध्यमिक शिक्षा	33.90	134.49	168.39
(iii) उच्च शिक्षा	22.54	...	22.54	0.66	...	0.66
जोड़-	123.85	499.80	623.65	0.66	...	0.66
6. अन्य-						
(i) वन	89.13	...	89.13	4.19	...	4.19
(ii) सामाजिक कल्याण	133.53	547.45	680.98	2.03	40.70	42.73
(iii) विविध	567.73	305.93	873.66	78.50	27.81	106.31
जोड़-	790.39	853.38	1,643.77	84.70	68.51	153.23
कुल जोड़-	3,172.12	1,808.68	4,980.80*	640.40	192.86	833.26**

* स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं/को मुआवजे समनुदेशन के ₹7.71 करोड़ शामिल है। (मुख्य शीर्ष 3604 पृष्ठ संख्या 111 (खण्ड-II))

** ₹833.26 करोड़ की सहायता अनुदान जोकि पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु पृष्ठ संख्या 16 (खण्ड-I)

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(ii) वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/अनुदानग्राही की श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियां	पूंजीगत सम्पत्तियों की प्रकृति के वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान का कुल मुल्य
1	2	3
	2021-22	2021-22
1. पंचायती राज संस्थाए-		
(i) जिला परिषद
(ii) पंचायत समीतियां
2. स्थानीय शहरी निकाय-		
(i) नगर निगम
(ii) नगर पालिका/ नगर परिषद
(iii) अन्य
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-		
(i) सरकारी कम्पनियां
(ii) सांविधिक निगम
4. स्वायत्त निकाय-		
(i) विश्वविद्यालय
(ii) विकास प्राधिकरण
(iii) सहकारी समीतियां
(iv) अन्य
5. गैर सरकारी संगठन-
जोड़-

टिप्पणी:- वर्ष के दौरान कोई भी वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान नहीं दिया गया।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी

विवरण	वास्तविक					
	2021-22			2020-21		
	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित	दत्तमत	जोड़
						(₹ करोड़ में)
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	4,716.54	31,478.00	36,194.54	4,543.73	28,991.20	33,534.93
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	5.60	6,023.78	6,029.38	13.63	5,295.58	5,309.21
लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त/हस्तांतरण तथा आकस्मिक निधि को अन्तरण (क)	4,387.29	377.97	4,765.26	11,141.04	320.12	11,461.16
जोड़	9,109.43	37,879.75	46,989.18	15,698.40	34,606.90	50,305.30
(क) आंकड़े निम्नवत रूप से निकाले गए हैं						
ड. लोक ऋण						
राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	4,289.65	...	4,289.65	11,046.90	...	11,046.90
केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	97.64	...	97.64	94.14	...	94.14
च. ऋण और अग्रिम *						
सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	...	0.75	0.75	...	1.60	1.60
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	...	374.40	374.40	...	315.71	315.71
सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	...	2.82	2.82	...	2.81	2.81
छ. अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त						
अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त
ज. आकस्मिक निधि को अन्तरण						
आकस्मिक निधि को अन्तरण
जोड़ (क)	4,387.29	377.97	4,765.26	11,141.04	320.12	11,461.16

(i) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय से कुल व्यय की प्रतिशतता निम्नलिखित थी।

वर्ष	कुल व्यय के प्रतिशतता	
	प्रभारित	दत्तमत
2020-21	31.21	68.79
2021-22	19.39	80.61

* विस्तृत लेखा के बारे में अधिक जागरूकी हेतु विवरण संख्या 18 देखें।

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष 2021-22 के दौरान	31 मार्च 2022 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
पूंजीगत तथा अन्य व्यय-			
सकल पूंजीगत व्यय			
सामान्य सेवाएं			
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.08	...	0.08
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	496.97	98.88	595.85
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	4.95	0.42	5.37
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1,460.76	274.34	1,735.10
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	91.44	15.99	107.43
जोड़-सामान्य सेवाएं	2,054.20	389.63	2,443.83
सामाजिक सेवाएं			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	3,786.18	488.71	4,274.89
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,455.16	293.80	2,748.96
जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास	8,735.17	1,113.09	9,848.26
सूचना एवं प्रचार	10.41	0.64	11.05
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	212.17	12.67	224.84
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	126.64	14.39	141.03
अन्य सामाजिक सेवाएं	14.29	2.01	16.30
जोड़-सामाजिक सेवाएं	15,340.02	1,925.31	17,265.33
आर्थिक सेवाएँ			
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	2,442.09	137.87	2,579.96
ग्रामीण विकास	66.16	38.53	104.69
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	6,001.62	312.49	6,314.11
ऊर्जा	4,619.87	128.00	4,747.87 *
उद्योग तथा खनिज	563.35	122.73	686.08
परिवहन	19,895.79	2,602.48	22,498.27
सामान्य आर्थिक सेवाएं	1,681.63	420.32	2,101.95
जोड़-आर्थिक सेवाएं	35,270.51	3,762.42	39,032.93
जोड़-सकल पूंजीगत परिव्यय	52,664.73	6,077.36	58,742.09

* ₹1,295.85 करोड़, की वि-निवेश राशि शामिल है जिसे अगले पृष्ठ पर घटाया गया है।

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष 2021-22 के दौरान	31 मार्च 2022 को
1	2	3	4
(₹ करोड़ में)			
पूंजीगत तथा अन्य व्यय-			
पूंजीगत परिव्यय की वसूलियां			
सामाजिक सेवाएं			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	0.22	...	0.22
जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास	0.75	...	0.75
जोड़-सामाजिक सेवाएं	0.97	...	0.97
आर्थिक सेवाएं			
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	1,299.16	47.98	1,347.14
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	567.69	...	567.69
उद्योग तथा खनिज	0.15	...	0.15
परिवहन	70.80	...	70.80
जोड़-आर्थिक सेवाएं	1,937.80	47.98	1,985.78
जोड़-पूंजीगत परिव्यय की वसूलियां	1,938.77	47.98	1,986.75
पूंजीगत परिव्यय	50,725.96	6,029.38	56,755.34
कटौती विनिवेश	1,295.85 *	...	1,295.85
कुल जोड़- पूंजीगत परिव्यय	49,430.11	6,029.38	55,459.49
ऋण तथा अग्रिम-			
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम-			
सामाजिक सेवाएं			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	9.44	0.71	10.15
जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास	16.28	(-)0.14	16.14
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	3.25	...	3.25
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	1.05	0.02	1.07
आर्थिक सेवाएं			
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	264.76	(-)30.90	233.86
ग्रामीण विकास	0.42	...	0.42
ऊर्जा	7,274.43	370.40	7,644.83
उद्योग तथा खनिज	88.50	...	88.50
सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.10	...	0.10
*पिछले*पृष्ठ पर देखें।			

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष 2021-22 के दौरान	31 मार्च 2022 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
पूंजीगत तथा अन्य व्यय-समाप्त ऋण तथा अग्रिम-समाप्त विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम- आर्थिक सेवायें			
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	28.35	(-)2.86	25.49
विविध ऋण	1.02	...	1.02
जोड़-ऋण तथा अग्रिम	7,687.60	337.23	8,024.83
जोड़-पूंजीगत तथा अन्य व्यय	57,117.71	6,366.61	63,484.32 (क)
निधियों के मुख्य स्रोत			
राजस्व (+) आधिक्य/(-) घाटा जमा-विनिवेश/सेवानिवृत्ति के कारण समायोजित राशि ऋण-			
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	42,918.21	1,457.82	44,376.03
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	3,261.54	3,489.87	6,751.41
लघु बचतें, भविष्य निधियां, आदि	16,522.64	483.64	17,006.28
जोड़-ऋण	62,702.39	5,431.33	68,133.72
अन्य दायित्व-			
आकस्मिकता निधि	5.00	...	5.00
आरक्षित निधियां	2,717.19	(-)743.29	1,973.90
जमा तथा अग्रिम	3,461.64	(-)34.98	3,426.66
उचन्त तथा विविध (सरकारी लेखे तथा रोकड शेष निवेश लेखा को संवृत राशि के अतिरिक्त)	(-)1,539.83	1,246.85	(-)292.98
प्रेषण	541.91	111.59	653.50
जोड़-अन्य दायित्व	5,185.91	580.17	5,766.08
जोड़-ऋण तथा अन्य दायित्व	67,888.30	6,011.50	73,899.80

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष 2021-22 के दौरान	31 मार्च 2022 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
अन्य प्राप्तियां-			
घटाएं- रोकड़ शेष	59.96	(-)105.37	(-)45.41
घटाएं- निवेश	1,696.28	871.99	2,568.27
जमा- सरकारी लेखे को संवृत राशि
निधियों का निवल प्रावधान	66,132.06	5,244.88	71,376.94 (₹)

विवरण में प्रदर्शित निधियों (स्व) के शुद्ध प्रावधान और वर्ष के अंत तक कुल पूंजी और अन्य व्यय (क) के बीच ₹7,892.62 करोड़ का अंतर, नीचे दिए गए हैं:

1 राजस्व घाटा

(i) 31 मार्च 2021 तक राजस्व घाटा	(-)9,041.18	
(ii) चालू वर्ष घाटा(-)/आधिक्य(+)	1,114.76 *	(-)7,926.42
(iii) 31 मार्च 2021 तक पूंजीगत प्राप्तियां	48.56	
(iv) वर्ष 2021-22 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां	7.01	55.57

2 राशियों का निम्न समाधान

(i) अंतर्राज्यीय समाधान	(-)1.43	
(ii) कूल राशि का "7999-आकस्मिकता निधि को विनियोजन"	(-)5.00	
(iii) विविध सरकारी लेखे	(-)7.84	
(iv) प्रफॉर्मा द्वारा कुल राशि का समायोजन	(-)7.50	(-)21.77

कुल जोड़-

(-)7,892.62

* पृष्ठ संख्या 4 पर पाद टिप्पणी देखें (खण्ड-I)।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार

(क) 31 मार्च 2022 को शेष राशियों का सारांश निम्न प्रकार से है:-

नाम शेष	लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष (₹ करोड़ में)
		समेकित निधि	
	क से घ, छ, तथा ठ का भाग	सरकारी लेखा	...
63,352.11 (क)	(मुख्य शीर्ष 8680 केवल)	लोक ऋण	
	ड.	(i) राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	44,376.03
		(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	6,751.41
8,024.83	च-	ऋण एवं अग्रिम	...
	छ-	आकस्मिकता निधि	
...		आकस्मिकता निधि	5.00
		लोक लेखा	
...	झ-	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	17,006.28
	ञ-	आरक्षित निधि	
		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	1,657.90
		(ii) ब्याज रहित आरक्षित निधियां	316.00
		सकल शेष	
	ट-	जमा और अग्रिम	
...		(i) ब्याज वाली जमा राशियां	14.30
...		(ii) ब्याज रहित जमा राशियां	3,412.87
...		(iii) अग्रिम	(-0.51)
	ठ-	उच्चत और विविध	
2,568.27		(i) निवेश	...
...		(ii) अन्य मदे (निवल)	(-292.98)
	ड-	प्रेषण	
...		(i) एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच रोकड़ प्रेषण व समायोजन	653.52
...		(ii) अर्न्तसरकारी समायोजन लेखे	(-0.01)
(-45.41) (ख)	ढ-	रोकड़ शेष	
73,899.80		जोड़	73,899.80

(क) इन आंकड़ों को समझने के लिए कृपया (ख) पृष्ठ संख्या 38 (खण्ड-I) देखें।

(ख) रोकड़-शेष में शामिल "रिजर्व बैंक के पास जमा" से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों तथा लेखाओं में प्रदर्शित किए गए आंकड़ों के बीच अन्तर था। इस विसंगति का समाधान किया जा रहा है।

पृष्ठ संख्या 199 (खण्ड-II) पर दी गई पाद-टिप्पणी (क) भी देखें।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार

ख. सरकारी लेखा:- सरकारी लेखों में अपनाई गई बही खाता पद्धति के अन्तर्गत राजस्व, पूंजीगत और अन्य सरकारी लेन-देनों के अन्तर्गत बुक किए गए वे लेखे जिनके बकायों को वर्ष-प्रतिवर्ष अग्रेषित नहीं किया जाता है, उन्हें “सरकारी लेखा” नामक एकल शीर्ष के अन्तर्गत बन्द कर दिया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया इस प्रकार के सभी लेन-देनों के संचित परिणामों को प्रकट करता है। इसमें लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा और अग्रिम, उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखाओं के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिक निधि आदि के अन्तर्गत बकायों को जोड़ कर वर्ष के अन्त में रोकड़ अन्त शेष निकाला जा सके और उसे प्रमाणित किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्ष सरकारी बहियों के उन लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बकायों को सम्मिलित करते हैं, जिनमें सरकार का प्राप्त किए गए धन को लौटाने का दायित्व है या जहां सरकार अदा की गई रकम वसूल करने का अधिकार रखती है और ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी सम्मिलित हैं, जो प्रेषण से सम्बन्धित लेन-देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले जाते हैं।

यह जानना आवश्यक है कि ये बकाए सरकार की वित्तीय स्थिति के सम्पूर्ण अभिलेख नहीं कहे जा सकते क्योंकि ये राज्य की सारी प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन, संचार साधन आदि और न ही उपचित देयों या बकाया दायित्वों, को सम्मिलित नहीं करते जिनका सरकार द्वारा अपनाई गई रोकड़ लेखा पद्धति के अन्तर्गत लेखांकन नहीं किया जाता है।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखे के नामे डाली गई शुद्ध राशि निम्नलिखित प्रकार से है:-

नामे	विवरण	जमा (₹ करोड़ में)
58,444.50	क- 1 अप्रैल 2021 को सरकारी लेखे में नामे शेष	...
...	ख- प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	37,309.30*
...	ग- प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	...
36,194.54	घ- व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	7.02
6,029.39	ड.- व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	...
...	च- उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखा)	...
...	छ- 31 मार्च 2022 को सरकारी लेखों में नामे शेष	63,352.11
1,00,668.43	जोड़	1,00,668.43

टिप्पणी:- कई मामलों में अन्तिम शेषों में असमायोजित भिन्नताएं हैं जैसा कि प्राप्ति, वितरण और आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे की विवरणियों (विवरणी-16) में बताया गया है व लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालय के इस उद्देश्य से बनाए गए रजिस्ट्रों अथवा रिकार्ड में दर्शाया गया है। विसंगतियों के समाधान के लिए पग उठाये जा रहे हैं।

अन्तिम शेष प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित अधिकारियों को निरीक्षण और सहमति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। अधिकतर मामले में सहमतियां प्राप्त नहीं होती।

* पृष्ठ संख्या 4 पर पाद टिप्पणी (खण्ड-1) देखें।

वर्ष 2021-22 के लिए वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश:

(i) रिपोर्टिंग इकाई:

ये खाते हिमाचल प्रदेश सरकार के लेनदेन को प्रस्तुत करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखों को 18 कोषागारों, 90 लोक निर्माण प्रभागों (71 भवन एवं सड़कों, 08 राष्ट्रीय राजमार्ग, 06 यांत्रिक, 05 विद्युत), 65 जल शक्ति विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक खातों और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के आधार पर संकलित किया गया है। वर्ष के अंत में कोई भी खाता बहिष्कृत नहीं किया गया है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि:

इन लेखों की रिपोर्टिंग अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 है।

(iii) रिपोर्टिंग मुद्रा:

हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे भारतीय रूपये (₹) में बताए गए हैं।

(iv) लेखाओं का स्वरूप:

भारत के संविधान के अनुच्छेद-150 के अधीन, संघ एवं राज्य के लेखाओं को उसी स्वरूप में रखा जाता है जैसा कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करें। अनुच्छेद-150 में प्रयुक्त शब्द 'स्वरूप' का व्यापक अर्थ है जिसमें न केवल लेखाओं को रखे जाने के विस्तृत स्वरूप का निर्धारण ही शामिल है अपितु लेनदेनों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उचित लेखा-शीर्षों के चयन के आधार को भी सम्मिलित किया गया है।

(v) बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग का आधार:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अनुसार, अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, एक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट कहा जाता है) वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले अनुदान/विनियोग के रूप में विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है। बजट को बिना वसूली और प्राप्तियों के सकल आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें अन्यथा व्यय में कमी में समायोजित करने की अनुमति होती है। बजट और खातों के शीर्षों से संबंधित सभी अनुदान/विनियोग, जिनकी शेष राशि अग्रेषित नहीं की जाती है, वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाती है।

बजट और लेखा: राज्य के बजट और लेखे दोनों एक ही लेखा अवधि, लेखांकन के नकद आधार और वर्गीकरण के समान आधार का पालन करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से लेखा महानियंत्रक द्वारा अधिसूचित के अनुसार लेखों को प्रमुख और लघु शीर्षों की सूची के अनुसार लघु शीर्षों के स्तर पर वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक राज्य में महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय द्वारा सहमति के अनुसार लघु शीर्षों के नीचे वर्गीकरण किया जाता है।

एक अलग बजट तुलना विवरण विनियोग लेखों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अनुदानों/ विनियोगों की तुलना में वास्तविक संवितरण का प्रतिनिधित्व करता है।

नकद आधार: लेखे वास्तविक नकद प्राप्तियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संवितरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे पुस्तकीय समायोजन के अपवाद के साथ जो अधिकृत हैं। वित्त लेखाओं में प्राप्तियां और संवितरण निवल वसूली, कटौती और रिफंड के शुद्ध आधार पर हैं।

पुस्तकीय समायोजन: पुस्तकीय समायोजन गैर-नकद लेनदेन है जो लेखों में समायोजन/समाधान के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन लेखा प्रदान करने वाली इकाइयों के स्तर पर होते हैं, जैसे, कोषागार, डिवीजन, आदि, वेतन से राजस्व प्राप्तियों/ऋणों/लोक लेखे में कटौती और वसूली के समायोजन के लिए समेकित निधि और लोक लेखा के मध्य धन के हस्तांतरण के लिए शून्य बिल, आदि।

पुस्तकीय समायोजन महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय में भी किया जाता है। इनमें, अन्य के साथ, संचित निधि (जैसे, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, केंद्रीय सड़क कोष, निक्षेप निधि, आदि) को नामे करके लोक लेखे में निधियों के निर्माण और योगदान के लिए बुकिंग शामिल है, संचित निधि को नामे करके लोक लेखे में

लेखों के जमा शीर्षों को जमा करना सामान्य भविष्य निधि और राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन प्रमुख शीर्ष 2049- ब्याज भुगतान को नामे करके और संबंधित प्रमुख शीर्षों को लोक लेखा में जमा करना; केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की योजना के तहत ऋण माफी का समायोजन, आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति, आदि।

पूंजी और राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण: पूंजीगत व्यय स्थायी प्रकृति की वास्तविक संपत्ति (प्रत्यक्ष में उपयोग के लिए और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में बिक्री के लिए नहीं) या मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण व्यय को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। रखरखाव, मरम्मत, रखरखाव और काम करने के खर्चों पर बाद के शुल्क, जो एक चालू क्रम में संपत्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, साथ ही संगठन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी खर्च, जिसमें स्थापना और प्रशासनिक खर्च शामिल हैं, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेखों में पूंजीगत और राजस्व व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।

प्रत्यक्ष और वित्तीय संपत्ति और देनदारियां: प्रत्यक्ष संपत्ति और वित्तीय संपत्ति (जैसे, निवेश, ऋण और सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम, आदि) साथ ही देनदारियों, जैसे, ऋण आदि को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। प्रत्यक्ष संपत्ति का मूल्यहास नहीं किया जाता है और वित्तीय संपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों में हुई क्षतियों को उनके समाप्तिकाल पर खपाया या मान्य नहीं किया गया है।

सहायता अनुदान: भारत सरकार के लेखा मानक (आई0जी0ए0एस0) 2 के अनुपालन में: सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण, नकद में सहायता अनुदान को संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, भले ही इसमें अनदानग्राही द्वारा संपत्ति का निर्माण शामिल हो, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर। प्राप्त सभी अनुदानों को राजस्व प्राप्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है। राज्य द्वारा दिए गए सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विवरण सरकार को वित्त लेखों के विवरण 10 और परिशिष्ट III में दर्शाया गया है। वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ऋण और अग्रिम: आई0जी0ए0एस0 3 के अनुपालन में: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 में प्रकट किया गया है। 31 मार्च 2022 को विवरणी में दर्शाया गया अंतिम शेष राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया है।

सेवानिवृत्ति लाभ: रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वितरित सेवानिवृत्ति लाभों को लेखों में दर्शाया गया है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के प्रति सरकार की भविष्य की पेंशन देयता, यानी, अतीत और वर्तमान सेवा के लिए उसके कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की देयता लेखों में शामिल नहीं किया गया है।

(vi) पूर्णांकन:

विवरण आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो संबंधित विवरणों के शीर्ष पर दर्शाए गए अनुसार ₹ लाख में और ₹ करोड़ में पूर्णांकित होते हैं। खंड-I और खंड-II में सांराश विवरणों और विस्तृत विवरणों के बीच, जहां कहीं भी 0.01/0.02 लाख/करोड़ क्रमशः का मामूली अंतर होता है पूर्णांकन के कारण होता है।

(vii) नकद शेष:

लेखों में रिपोर्ट किए गए नकद शेष, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग के साथ राज्य सरकार के लेख में दर्ज एक वर्ष के 31 मार्च के अंत में राज्य की शेष राशी है। नकद शेष वर्ष के लिए राज्य के समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से जुड़े नकद लेनदेन के बाद शेष राशि को दर्शाता है। पुस्तकीय समायोजन रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करते। वित्त लेखों में रिपोर्ट किया गया नकद शेष भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तक के साथ समाधान के अधीन है।

(viii) आकस्मिक और प्रतिबद्ध देनदारियों का प्रकटीकरण:

आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है। आई0जी0ए0एस0 1 के अनुपालन में: 'सरकारों द्वारा दी गई गारंटी' राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार वित्त लेखों के विवरण 9 और 20 में गारंटियों के क्षेत्र-वार विवरण का खुलासा किया गया है।

सरकार प्रतिबद्धता लेखांकन का पालन नहीं करती है और प्रतिबद्धताओं को न तो दर्ज किया जाता है और न ही प्रतिबद्धता के प्रति दायित्व लेखों में मान्यता प्राप्त है लेकिन यह वित्त लेखों के परिशिष्ट XII के तहत अपनी भविष्य की प्रतिबद्धताओं का खुलासा करता है।

(ix) पास-थ्रू लेनदेन:

प्राप्तियों की प्रकृति में पास-थ्रू लेनदेन राज्य द्वारा एकत्र की गई, लेकिन अन्य इकाई को हस्तांतरित करने की आवश्यकता वित्त लेखों के टिप्पणियों में प्रकट की जाती है। इनमें राज्य कैम्पा फंड में वर्ष के संग्रह का 10 प्रतिशत सालाना आधार पर राष्ट्रीय कोष में हस्तांतरित करना शामिल है।

2. लेखांकन ढांचे का अनुपालन:

(i) मासिक लेखों को बंद करने के बाद कोषागारों द्वारा लेखों को फ्रीज न करना:

मासिक लेखों को बंद करने के बाद कोषागारों द्वारा लेखों को फ्रीज न करने से महालेखाकार कार्यालय को मासिक लेखे जमा करने के बाद डेटा हेरफेर की गुंजाइश हो सकती है और महालेखाकार कार्यालय और राज्य सरकार के बीच आंकड़े/डेटा का बेमेल हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में मासिक लेखों को बंद कर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय में भेजने के बाद मासिक लेखों को फ्रीज करने का प्रावधान है।

(ii) अनाधिकृत शीर्षों का संचालन:

वर्ष 2021-22 के दौरान, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने एक अनाधिकृत उप प्रमुख शीर्ष (01 प्रमुख शीर्ष 5002 के तहत) बजट प्रावधान प्रदान किया और इस शीर्ष में पूंजी अनुभाग के तहत ₹213.00 करोड़ का व्यय किया।

(iii) सलाह के बिना नए उप शीर्षों/विस्तृत लेखा शीर्षों को खोलना:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार राज्य के लेखों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सलाह के अनुसार रखा जाना है। वर्ष 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) आवश्यकतानुसार की सलाह लिए बिना बजट में 136 नए उप शीर्ष (राजस्व अनुभाग के तहत 110, और पूंजी अनुभाग के तहत 26) खोले। राज्य सरकार ने इन शीर्षों के तहत बजट प्रावधान प्रदान किए और 2021-22 के दौरान इन शीर्षों में ₹2,641.81 करोड़ (राजस्व अनुभाग के तहत ₹2,583.84 करोड़ और पूंजी अनुभाग के तहत ₹57.97 करोड़) का व्यय किया।

(iv) बजट प्रावधानों के चित्रण में विसंगति:

वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार के बजट दस्तावेजों की समीक्षा बजट प्रावधानों में निम्नलिखित विसंगतियों को दर्शाती है।

(क) बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय:

संविधानके अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा राज्य की संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा, किसी योजना/सेवा पर पुनर्विनियोग से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के बाद, या, अनुपूरक अनुदान या विनियोग या राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम द्वारा बिना निधि के प्रावधान के व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के बावजूद 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने विस्तृत अनुमानों के बिना किसी बजट प्रावधान के 12 अनुदानों में 18 प्रमुख शीर्षों के तहत ₹623.40 करोड़ का व्यय किया।

टिप्पणी: अनुदान संख्या 5, 8, 10, 11, 13, 14, 20, 22, 28, 30, 31 और 32 प्रमुख शीर्ष 2245, 2202, 4059, 2401, 2711, 2405, 2501, 2505, 2515, 4216, 4408, 2217, 2059, 2216, 2851, 3452, 4711 और 5055.

(ख) पर्याप्त प्रावधान किया गया था लेकिन कोई खर्च नहीं किया गया:

योजना के दिशा-निर्देशों/तौर-तरीकों का अनुमोदन न होने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारंभ न करने, बजट जारी न करने आदि के कारण सरकार की अनेक नीतिगत पहलों को आंशिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है या क्रियान्वित नहीं किया जाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 25 अनुदानों के अंतर्गत 68 प्रमुख शीर्ष थे जिनमें विभिन्न योजनाओं पर ₹363.04 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था। इससे हितग्राहियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है।

बजट दस्तावेजों में आवश्यक कार्रवाई एवं सुधार के लिए मामला राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया था।

टिप्पणी: अनुदान संख्या 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,19,20,21,22,25,26,27,29,30,31 और 32 प्रमुख शीर्ष 2012,2030,2039, 2053, 2054, 2055, 2056, 2059, 2071,2202, 2203, 2204, 2205, 2210,2211,2215,2217, 2225,2230, 2235,2236, 2245, 2251, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2408,2425, 2435, 2501, 2515, 2700, 2701, 2702, 2851, 3054,3451, 3452, 3456,4059, 4202, 4210, 4215, 4216, 4225, 4235, 4408, 4701, 4702,4705,4711,4801,4851,5053,5055,5056,5475, 6003,6004, 6225,6401,6425, 6801,6885 और 7610.

3. समेकित निधि:

(i) माल एवं सेवा कर:

माल एवं सेवा कर (जी0 एस0 टी0) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य का माल एवं सेवा कर संग्रह वर्ष 2020-21 में ₹3,466.58 करोड़ की तुलना में ₹1,015.57 करोड़ की वृद्धि (29.30 प्रतिशत) के साथ ₹4,482.15 करोड़ था। इसमें आई0 जी0 एस0 टी0 का अग्रिम मुल्यांकन राशि ₹308.20 करोड़ शामिल है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के तहत राज्य को सौंपे गये शुद्ध आय के अपने हिस्से के रूप में ₹2,105.41 करोड़ प्राप्त हुए। माल एवं सेवा कर के तहत कुल प्राप्तियां ₹6,587.56 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 के दौरान माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के कारण राजस्व प्राप्ति के रूप में राज्य ने ₹1,167.99 करोड़ मुआवजा प्राप्त किया।

इसके अलावा, राज्य को जी.एस.टी. मुआवजे के बदले केंद्र सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में 2021-22 (31 मार्च 2022 तक कुल ₹4,412.22 करोड़ का कुल बैंक-टू-बैंक ऋण) के दौरान ₹2,695.22 करोड़ का ऋण भी प्राप्त हुआ, जिसे राज्य के किसी भी मानदंड के लिए जो वित्त आयोग द्वारा व्यय विभाग, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरणी संख्या 14 में उपलब्ध हैं।

(ii) गलत वर्गीकरण राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के बीच:

वर्ष 2021-22 में लेन-देन की नमूना जांच के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जैसा कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित है पूंजी अनुभाग के बजाय राजस्व अनुभाग में मुख्य शीर्ष 2059 के तहत गलत तरीके से ₹2.77 करोड़ का व्यय दर्ज किया। राज्य के राजस्व/राजकोषीय अधिशेष/घाटे पर गलत वर्गीकरण का प्रभाव पैरा 6 के अंतर्गत दिया गया है।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 4,5,15 और 16 के आंकड़ों का संदर्भ है।

(iii) प्रमुख नियन्त्रण अधिकारियों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के मध्य प्राप्ति तथा व्यय का मिलान:

सभी नियन्त्रण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश के आंकड़ों के साथ करें। वर्ष 2021-22 के दौरान, प्राप्तियों की राशि ₹37,316.31 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों का 100 प्रतिशत) और ₹42,223.92 करोड़ (कुल राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का 100 प्रतिशत) के व्यय का मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया था।

इसकी तुलना में, राज्य सरकार द्वारा प्राप्तियों की राशि ₹33,441.15 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों का 100 प्रतिशत) और व्यय की राशि ₹38,844.14 करोड़ (कुल राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का 100 प्रतिशत) का मिलान 2020-21, यानी पिछले वर्ष के दौरान किया गया था।

(iv) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों के तहत बुकिंग:

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/800-अन्य प्राप्तियां का संचालन केवल तब किया जाना चाहिये जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं करवाया गया हो। लघु शीर्ष 800 का नियमित संचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिये, क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, 41 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹2,255.53 करोड़ कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹42,223.92 करोड़) का 5.34 प्रतिशत, लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत लेखों में वर्गीकृत किया गया था। पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान, 41 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹970.24 करोड़ कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹38,844.14 करोड़) का 2.50 प्रतिशत, लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत लेखों में वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, 46 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹1,957.37 करोड़, कुल राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों (₹37,316.31 करोड़) का 5.25 प्रतिशत, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

पिछले वर्ष 48 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹1,331.89 करोड़, कुल राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों (₹33,441.15 करोड़) का 3.98 प्रतिशत, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 14, 15, तथा 16 का संदर्भ है।

(v) व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) लेखों में धन का हस्तांतरण:

पी.डी. लेखे नामित आहरण अधिकारियों को किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए व्यय करने में सक्षम बनाते हैं।

2021-22 के दौरान इन पी.डी. लेखों में ₹0.59 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। इसमें मार्च 2022 में हस्तांतरित ₹0.08 करोड़ शामिल हैं, जिनमें से ₹0.04 करोड़ मार्च 2022 के अंतिम कार्य दिवस पर स्थानांतरित किए गए थे।

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 200(4) के अनुसार, व्यक्तिगत जमा लेखे के 55 प्रशासकों (106 में से) ने कोषागार के आंकड़ों के साथ अपनी शेष राशि का मिलान और सत्यापन किया था और महालेखाकार कार्यालय को आगे जमा करने के लिए कोषाधिकारी को वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। व्यक्तिगत जमा लेखों के 51 प्रशासकों ने कोषागार के आंकड़ों के साथ उनके शेष का मिलान और सत्यापन नहीं किया।

पी.डी. लेखों का 31 मार्च 2022 को विवरण नीचे दिया गया है:

(₹करोड़ में)

1 अप्रैल 2021 को अथ शेष		वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2021-22 के दौरान बंद/निकासी		31 मार्च 2022 को अंतिम शेष राशि	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
112	2.18	02	0.22*	08	0.66	106	1.74

* इसमें ₹0.37 करोड़ की व्यपगत जमा राशि शामिल है।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरणी संख्या 21 में उपलब्ध है।

पिछले वर्ष की तुलनात्मक जानकारी निम्न तालिका में दिखाई गई है।

1 अप्रैल 2020 को अथ शेष		वर्ष 2020-21 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2020-21 के दौरान बंद/निकासी		31 मार्च 2021 को अंतिम शेष राशि	
प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि	प्रशासकों की संख्या	राशि
112	2.82	01	(-)0.13	01	0.51	112	2.18

(vi) असमायोजित सार आकस्मिक (ए.सी.)बिल:

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 187 के अनुसार, एसी बिलों पर अग्रिम आहरण की अनुमति डी.डी.ओ. द्वारा दर्शायी परिस्थितियों के लिए जैसा कि वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट कारणों से लिखित रूप में दर्ज करने के बाद दी जायेगा। व्यय के प्रासंगिक मानक उद्देश्य में निधियों की उपलब्धता होने पर डी.डी.ओ. अग्रिम भी आहरित कर सकते हैं। लेकिन डी.टी.ओ./टी.ओ. द्वारा एक समय में केवल एक ही अग्रिम स्वीकृत/पास किया जा सकता है। अग्रिम को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान विधिवत समायोजित करना होगा। यह संबंधित डी.डी.ओ. की जिम्मेदारी होगी कि वह उसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम को समायोजित करवाए जिसमें वह आहरित किया गया है। अग्रिम मार्च के महीने में भी अधिकृत किया जा सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए डी.डी.ओ./एच.ओ.डी. की जिम्मेदारी होगी कि इन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले समायोजित किया जाए। दूसरा अग्रिम केवल तभी अधिकृत किया जाएगा जब पहले को विधिवत समायोजित किया गया हो।

डी.टी.ओ./टी.ओ. अग्रिम रजिस्टर में अलग से अग्रिम दर्ज करेंगे। वे निगरानी करेंगे कि संबंधित कोषागार द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश को विस्तृत आकस्मिक बिल के माध्यम से उसी वित्तीय वर्ष के भीतर इनका लेखा-जोखा दिया जाना है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य सरकार को ए.सी. बिलों के विरुद्ध अग्रिमों निकासी की स्थिति की पहचान/निगरानी करने डी.सी. बिलों के माध्यम से इसका समायोजन के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए निरंतर अनुनय के बावजूद राज्य सरकार ने अभी तक कोई तंत्र तैयार नहीं किया था। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश के पास कोई विवरण उपलब्ध नहीं हैं कि इसके विभिन्न विभागों द्वारा कितने एसी बिल निकाले गए, कितने वर्ष 2021-22 के दौरान स्वीकृत किए गए और 31 मार्च 2022 तक कितने लंबित हैं।

(vii) सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्राप्त नहीं हुआ:

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 157 के अनुसार, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) अनुदानग्राही द्वारा इसे स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 में यू.सी. जमा करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं की गई है। भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के एम.एस.ओ. (लेखा व हकदारी) खण्ड-I में निहित प्रावधानों और अनुदानों के स्वीकृति आदेशों में निर्धारित शर्तों के आधार पर प्राधिकरणों से उपयोगिता प्रमाण पत्रों पर जोर दिया गया है।

यू.सी. जमा न करने की सीमा तक, एक जोखिम है कि वित्त लेखों में दिखाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सकती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, ₹3,368.78 करोड़ के 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके थे। 31 मार्च 2022 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष*	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि(₹ करोड़ में)
2020-21 तक	1,796	2,359.15
2021-22	1,823	2,392.99
कुल	3,619	4,752.14

* वर्णित वर्ष, 'देय वर्ष' अर्थात वास्तविक आहरण से 12 माह बाद से सम्बन्धित है।

#वर्ष के दौरान ₹4,980.80 करोड़ की राशि के लिए 17,267 यू.सी. जोड़े गए।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 10 तथा परिशिष्ट-III के संदर्भ है।

पिछले वर्ष की तुलनात्मक जानकारी निम्न तालिका में दिखाई गई है।

वर्ष*	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि(₹ करोड़ में)
2018-19 तक	573	584.42
2019-20	914	1,002.65
2020-21	1,312	1,970.76
कुल	2,799	3,557.83

(viii) ब्याज समायोजन:

सरकार जे-रिजर्व फंड (क.सब्याज आरक्षित निधियां) और ट-जमा और अग्रिम (क.सब्याज जमा राशियां) के तहत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है, और इस उद्देश्य के लिए, विशिष्ट उप-प्रमुख शीर्ष लेखा के प्रमुख और लघु शीर्षों की सूची में प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गई इन निधियों/जमाओं और ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

फंड/जमा	1 अप्रैल 2021 को शेष	ब्याज की गणना के लिए आधार	ब्याज बकाया	ब्याज भुगतान	ब्याज कम भुगतान
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अशंदापन पेंशन योजना	7.66	भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार ब्याज की गणना	0.54	शुन्य	0.54
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	7.88	आर.बी.आई. द्वारा अधिसूचित ब्याज की गणना	0.47	शुन्य	0.47
कुल			1.01	शुन्य	1.01

* विवरण संख्या 21 में मुख्य शीर्ष 8121-122 के तहत 01 अप्रैल 2021 को ₹233.81 करोड़ में से ₹7.88 करोड़ अव्ययित है और ₹225.93 करोड़ ओ. बी. उचंत के अधीन है। (2019-20 के दौरान दर्ज किया गया)

₹1.01 करोड़ की राशि के ब्याज का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय और राजकोषीय घाटे को ₹1.01 करोड़ से कम बताया गया है।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 15,21 तथा 22 के आंकड़ों का संदर्भ है।

(ix) सरकार द्वारा दी गई गारंटियां:

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम 2005,2011 में संशोधित, के अनुसार किसी भी वर्ष की कुल बकाया सरकारी गारंटियां पिछले वर्ष की राज्य राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत राशि ₹289.46 करोड़ थी। 31 मार्च 2022 को बकाया गारंटियां ₹1,884.61 करोड़ थी, जो वर्ष 2020-21 की राज्य राजस्व प्राप्तियों (₹33,438.27 करोड़) का 5.64 प्रतिशत है और निर्धारित सीमा के भीतर थी।

2021-22 के दौरान, राज्य सरकार को गारंटी कमीशन के रूप में ₹3 करोड़ प्राप्त हुए, जोकि 2021-22 के दौरान गारंटीकृत राशि (₹289.46 करोड़) का 1.04 प्रतिशत था। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 168 के अन्तर्गत सरकार गारंटी जारी करने के बाद गारंटीकृत राशि का 1.00 प्रतिशत गारंटी शुल्क और 0.2 प्रतिशत प्रतिबद्धता शुल्क वसूल करेगी, जोकि ₹3.47 करोड़ है।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरणी 9, 14 और 20 में उपलब्ध है।

(x) पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय:

पर्यावरण के प्रति राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय विभिन्न कार्यात्मक लेखा शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष के स्तर तक वित्त लेखों में दर्शाया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रमुख शीर्ष 3435 पारिस्थिकी और पर्यावरण के तहत ₹2.40 करोड़ के बजट आबंटन के मुकाबले ₹2.40 करोड़ खर्च किए। पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रमुख शीर्ष 3435 के तहत ₹1.88 करोड़ के बजट आबंटन के मुकाबले ₹1.88 करोड़ खर्च किए।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 15 और 16 का संदर्भ है।

(xi) केंद्रीय ऋणों का बट्टे खाते में डालना:

तेरहवें वित्त आयोग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने फरवरी 2012 में सिफारिशों के दृष्टिगत केंद्रीय योजना तथा केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकारों का दिए गए ऋणों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋणों के अलावा) को बट्टे खाते में डाल दिया था। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश की प्रभावी तिथि (31 मार्च 2010) से किए गए मूलधन और ब्याज की अधिक चुकौती को समायोजित करने और वित्त मंत्रालय को भविष्य में भुगतान के खिलाफ इसके कार्यान्वयन की अनुमति दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2022 के अंत तक ₹15.58 करोड़ (मूलधन ₹7.72 करोड़, ब्याज ₹7.86 करोड़) का अतिरिक्त भुगतान की थी, जिसमें से वित्त मंत्रालय ने अब तक ₹12.31 करोड़ का समायोजन किया है।

इसमें वित्त लेखों की विवरणी 17 का संदर्भ है।

(xii) राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण:

पुराने ऋणों के संबंध में जिनके विस्तृत खाते प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा बनाए जाते हैं ₹3,052.46 करोड़ की राशि जिसमें छह विभाग शामिल हैं, पिछले कई वर्षों के दौरान मूलधन और ब्याज की वसूली प्रभावित नहीं हुई है और ऐसे पांच ऋण 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) वार्षिक रूप से सत्यापन और स्वीकृति के लिए ऋण शेष राशि (जहां प्रधान महालेखाकार द्वारा विस्तृत लेखों का रखरखाव किया जाता है) को ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को सूचित करता है। छह कर्जदारों में से पांच ने बकाया राशि की पुष्टि कर दी है। शेष राशि के समाधान हेतु विभागीय अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का विवरण वित्त लेखों के परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 7 और 18 का संदर्भ है।

(xiii) प्रतिबद्ध देयताएं:

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा लेखांकन के उपचय आधार की ओर बढ़ने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि, बदलाव चरणों में होगा, लेखांकन की उपचय आधारित प्रणाली में बदलाव के लिए, निर्णय में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विवरण के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी को नकद लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में जोड़ा जाना आवश्यक है। राज्य सरकार को प्रतिबद्ध देनदारियों के बारे में जानकारी देनी है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रतिबद्ध देनदारियों के आंकड़े राज्य विधानसभा में रखे गए एफ.आर.बी.एम. प्रकटीकरण से लिए गए हैं। ये आंकड़े वित्त लेखों के परिशिष्ट-XII में दर्शाए गए हैं।

(xiv) ब्लॉक अनुदानों को छोड़कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं(सी.एस.एस.)/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए.सी.ए.) का पुनर्गठन:

योजना/गैर-योजना वर्गीकरण के विलय के परिणामस्वरूप, जारी की गई केंद्रीय सहायता को अब केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्रीय सहायता/शेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च 2022 तक केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत बुक किया गया कुल खर्च ₹5,568.74 करोड़ (राजस्व व्यय ₹3,949.50 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹1,619.24 करोड़) है, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता और राज्य के हिस्से का खर्च शामिल है।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 15 और 16 का संदर्भ है।

(xv) राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियां):

(क) सी.जी.ए. के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, 2021-22 के दौरान राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹2,534.57 करोड़ प्राप्त हुए थे। कुल ₹2,532.54 करोड़ की राशि में से ₹2,532.54 करोड़ केंद्रीय सहायता/शेयर के रूप में बिचौलियों को हस्तांतरित किया गया था (अर्थात्, गैर सरकारी संगठनों, समितियों, आदि) और ₹2,532.54 करोड़ सीधे लाभार्थियों को।

कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण 2020-21 की तुलना में 35.76 प्रतिशत बढ़ गया है (2020-21 में ₹1,866.98 करोड़ से 2021-22 में ₹2,534.57 करोड़) विवरण वित्त लेखों के परिशिष्ट-VI में हैं।

(xvi) राज्य सरकार की ऑफ-बजट देयताएं:

राज्य सरकार ने अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ऑफ-बजट देनदारियों का खुलासा नहीं किया। हालांकि, राज्य सरकार ने भारत सरकार को पुष्टि की है कि उसके पास कोई बजट उधार नहीं है।

(xvii) आपत्ति पुस्तिका में उचंच लेखे के तहत दर्ज लेनदेन और डी.डी.ओ. के बैंक लेखों में निधियों का

अन्तरण :

2021-22 के दौरान, उप-वाउचर स्वीकृति आदेश और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण ₹78.74 करोड़ (राजस्व व्यय ₹74.28 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹4.46 करोड़), की राशि को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों में उचंच लेखे में रखा गया है। इस प्रकार, वित्त लेखों में उक्त राशि को राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय के रूप में तथा विनियोग लेखों में वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधानों के विरुद्ध वास्तविक व्यय के रूप में नहीं लिया गया है। उचंच के अंतर्गत रखी गई राशि के लिए मुख्य शीर्षवार स्थिति अनुबंध-क में दी गई है।

इसके अलावा, पिछले वर्षों के आपत्ति पुस्तिका में उचंच की ₹1,190.78 करोड़ की राशि (2019-20 के ₹1,183.76 करोड़ और 2020-21 के ₹7.02 करोड़) को 2021-22 के दौरान समाप्त कर दिया गया है और संबंधित व्यय लेखा शीर्ष (राजस्व व्यय ₹1,057.29 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹133.49 करोड़), के तहत दर्ज किया गया है। इस प्रकार, वित्त लेखों में राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय और विनियोग लेखों में वर्ष 2021-22 के बजट प्रावधानों के विरुद्ध वास्तविक व्यय को उस सीमा तक बढ़ा दिया गया है। आपत्ति पुस्तिका से उचंच की लिए प्रमुख शीर्षवार स्थिति अनुबंध-ख में दी गई है।

इसके अलावा, मार्च 2022 के महीने में लेनदेन की जांच से पता चला कि ₹142.67 करोड़ की राशि कोषागार से आहरित की गई थी और शुरु में डी.डी.ओ. के बैंक लेखे में स्थानांतरित की गई थी, जो हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम, 2017 के नियम 183(v) और 184(1) का उल्लंघन था।

(xviii) एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए) के बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धन राज्य सरकार द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है और इसके 21 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एस.एन.ए. के लेखे में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकार ने सी.एस.एस निधियों को एस.एन.ए लेखों में स्थानांतरित कर दिया है। 31 मार्च 2022 तक, 69 योजनाओं के एस.एन.ए. लेखों में केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से सहित ₹1,062.72 करोड़ की राशि अव्ययित रही।

4. आकस्मिकता निधि:

आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि की स्थापना की, जोकि अभिरक्षा से संबंधित या उससे संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने, धन के भुगतान और हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि से धन की निकासी से संबंधित है हिमाचल प्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹5.00 करोड़ का कोष है। 31 मार्च 2022 तक, आकस्मिकता निधि में ₹5.00 करोड़ की शेष राशि थी।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरण 1,2 और 21 में उपलब्ध हैं।

5. लोक लेखे:

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.):

वर्ष 2021-22 के दौरान, एन.पी.एस. में कुल अंशदान जोकि एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, ₹1,133.19 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹474.41 करोड़ और सरकार का अंशदान ₹658.75 करोड़ और ब्याज ₹0.03 करोड़) था। सरकारी अंशदान की विस्तृत जानकारी वित्त लेखे के विवरणी संख्या 15 में उपलब्ध है। मुख्य शीर्ष 8342-117 (₹658.75 करोड़) के तहत दिखाई गई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में सरकार का योगदान प्रमुख शीर्ष 2071-01-117 (₹649.39 करोड़) के तहत दिखाई गई राशि से भिन्न है, जो उन अभिदाताओं के संबंध में सरकार द्वारा नियोक्ता के हिस्से को सीधे जमा करने के कारण है जो पहले गलती से जी.पी.एफ. योजना में थे और अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के तहत नामांकित हैं। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत लोक लेखे में ₹1,113.19 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान ₹474.41 करोड़ और सरकार का अंशदान ₹658.75 करोड़ और ब्याज ₹0.03 करोड़) हस्तांतरित किया। एन.पी.एस. में सरकार का अंशदान ₹5.42 करोड़ कम था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को अधिक बताया गया और उस सीमा तक राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।

(ii) (क) सब्याज आरक्षित निधियां :

(क) **राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि(एस.डी.आर.एफ.):** राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के गठन और प्रशासन पर दिशा-निर्देशों के संदर्भ में (मुख्य शीर्ष- '8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' जो सब्याज अनुभाग के तहत है), केंद्र और राज्य सरकार 90:10 के अनुपात में फंड में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹327.20 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार के हिस्से ₹36.00 करोड़ को प्रेषित करने की आवश्यकता थी जबकि वास्तव में हस्तांतरित हिस्सा ₹35.80 करोड़ है, जो ₹0.20 करोड़ से कम है। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ के तहत निधि में ₹363.00 करोड़ (केंद्रीय अंश ₹327.20 करोड़, राज्य अंश ₹35.80 करोड़) हस्तांतरित किए। केंद्र सरकार से राज्य को एन.डी.आर.एफ. के लिए कोई राशि नहीं मिली।

(ख) **राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, प्रतिपूरक वनरोपण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त राशियों के लिए राज्य सरकारों को राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि को लोक लेखा में सब्याज अनुभाग के तहत स्थापित करना आवश्यक है।

राज्य सरकार को वर्ष 2021-22, व 2020-21 के दौरान उपयोगकर्ता एजेंसियों से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण जमा से 2021-22 और 2020-21 के दौरान कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने तदर्थ कैम्पा के पास पड़ी ₹2.02 करोड़ की अव्ययित धनराशि के साथ "एस.सी.ए.एफ" के अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि पर मुख्य शीर्ष 8121 के अंतर्गत ₹52.13 करोड़ का कुल ब्याज जमा किया। वर्ष के दौरान (मुख्य शीर्ष 2406-04-904) के तहत "एस.सी.ए.एफ" से ₹94.77 करोड़ की राशि का समायोजन किया गया। 31 मार्च 2022 तक राज्य प्रतिपूरक वनरोपण कोष में कुल शेष राशि ₹1,608.11 करोड़ थी।

(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियां:

(क) **समेकित निक्षेप निधि:** बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा बकाया देनदारियों के प्रत्युत्सर्जन के लिए एक समेकित निक्षेप निधि बनानी अपेक्षित थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा संचालित करना था। आर.बी.आई. के 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को गत वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया देनदारियों के 0.5 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना अपेक्षित था। यह निधि स्वैच्छिक है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया गया है।

(ख) गारंटी मोचन निधि:

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटियों से उत्पन्न प्रासंगिक दायित्वों के निर्वहन हेतु गारंटी मोचन निधि स्थापित करनी अपेक्षित थी, तथा पिछले वर्ष के बकाया गारंटियों के 0.5 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना अपेक्षित था। यह निधि भी स्वैच्छिक है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी मोचन निधि को अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

निधि में लेनदेन को वित्त लेखों के विवरण 21 और 22 में दर्शाया गया है।

(iii) उचंत और प्रेषण शेष:

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया राशि, विभिन्न शीर्षों के तहत अलग-अलग बकाया नामे और जमा शेष को मिलाकर, 31 मार्च 2022 को उचंत और प्रेषण शीर्षों के तहत ₹360.52 करोड़ (जमा) थी (31 मार्च 2021 को ₹997.92 करोड़ (नामे))

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियों का समाधान न होने से राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो साल दर साल आगे ले जाया जाता है) के तहत प्राप्ति व व्यय के आंकड़ों और शेष की सटीकता प्रभावित होती है।

(iv) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर:

भारत सरकार ने श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर लगाने और एकत्र करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया।

वर्ष 2021-22 के दौरान, सरकार ने प्रमुख शीर्ष 8443 के तहत श्रम उपकर के रूप में ₹38.74 करोड़ लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग से (2020-21: 36.49 करोड़) एकत्र किए और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को ₹41.59 करोड़ (2020-21: ₹33.19 करोड़) हस्तांतरित किए। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 को प्रमुख शीर्ष 8443 से अहस्तांतरित राशि ₹24.92 करोड़ थी (31 मार्च 2021 को ₹27.77 करोड़)।

(v) अन्य उपकर/शुल्क/अधिभार:

वर्ष 2021-22 के दौरान, सरकार ने उपकर/शुल्क/अधिभार (श्रम उपकर के अलावा) के संग्रह के रूप में ₹86.02 करोड़ (2020-21: ₹68.24 करोड़) एकत्र किए।

नामित निधि में कोई निधि अंतरित नहीं की गई क्योंकि इसे राज्य सरकार द्वारा लोक लेखे में सृजित नहीं किया गया है।

(vi) प्रतिकूल शेष:

वर्ष के दौरान लेखों में प्रदर्शित होने वाली ऋणात्मक शेष राशि नीचे दी गई है। इस शीर्ष के अंतर्गत ऋणात्मक शेष अधिक भुगतान के कारण था और समीक्षा/सुधार के अधीन है।

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष विवरण	ऋणात्मक शेष
8449-अन्य जमा	123- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट जमा	1.03

(vii) नकद शेष:

31 मार्च 2022 को प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के रिकॉर्ड के अनुसार नकद शेष राशि ₹45.41 करोड़ (जमा) थी और आर.बी.आई. द्वारा सूचित की गई राशि ₹55.52 करोड़ (नामे) थी। मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा लेन-देन की गलत रिपोर्टिंग के कारण ₹10.11 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर था। अंतर समाधान के तहत है। प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरणी संख्या 21 में उपलब्ध हैं।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले वर्ष के 31 मार्च को नकद शेष राशि ₹59.96 करोड़ (नामे) थी और आर.बी.आई. द्वारा रिपोर्ट की गई यह राशि ₹61.46 करोड़ (जमा) थी। मुख्य रूप से एजेंसी बैंकों द्वारा लेन-देन की गलत रिपोर्टिंग और गैर-समाधान के कारण ₹1.50 करोड़ (नामे) का शुद्ध अंतर था।

6. राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव:

हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव जैसा कि पिछले पैरा में बताया गया है, नीचे सारणी बद्ध है:

पैरा संख्या	मद	अधिशेष शेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		आधिक्य (₹ करोड़ में)	कमी (₹ करोड़ में)	आधिक्य (₹ करोड़ में)	कमी (₹ करोड़ में)
3(ii)	राजस्व एव पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण	--	2.77	--	--
3(viii)	ब्याज समायोजन	1.01	--	--	1.01
3(xvii)	आपत्ति पुस्तिका में उच्चतं खातो से लेनदेन की निकासी	--	1,057.29	1,190.78	--
5(i)	एन.पी.एस. में सरकार द्वारा लघु योगदान	5.42	--	--	5.42
5(ii) (क) (क)	एस.डी.आर.एफ. के राज्य हिस्से का कम हस्तांतरण	0.20	--	--	0.20
कुल प्रभाव		6.63	1,060.06	1,190.78	6.63
निवल प्रभाव		1,053.43		1,184.15	

टिप्पणी: संदर्भ पैरा 3(xvii) -2021-22 के दौरान ₹78.74 करोड़ को राजस्व व्यय (₹74.28 करोड़) और पूंजीगत व्यय (₹4.46 करोड़) के रूप में हिसाब में लेन के स्थान पर "उच्चतं" के तहत स्थगन में रखा गया है।

अनुबन्ध-क

(वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ--पैरा 3 (xvii) के संदर्भ में)

उचन्त के अधीन स्थगन में रखी गयी राशि की मुख्य शीर्ष वार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	वाञ्छर माह	राशि	कुल राशि
01	2013	10/2021	0.07	0.07
02	2053	07/2021	0.01	0.08
		08/2021	0.01	
		09/2021	0.02	
		11/2021	0.01	
		12/2021	0.03	
03	2056	08/2021	0.05	0.10
		10/2021	0.02	
		12/2021	0.03	
04	2059	03/2022	2.88	2.88
05	2202	07/2021	0.02	66.37
		12/2021	0.12	
		03/2022	66.23	
06	2203	07/2021	0.01	0.03
		10/2021	0.02	
07	2205	03/2022	1.50	1.50
08	2210	07/2021	0.10	2.07
		10/2021	0.09	
		12/2021	0.04	
		03/2022	1.84	
09	2225	03/2022	0.84	0.84
10	2404	03/2022	0.33	0.33
11	4055	12/2021	0.45	0.45
12	4210	08/2021	0.64	1.21
		12/2021	0.57	
13	4402	08/2021	0.05	0.05
14	4403	07/2021	0.40	0.40

अनुबन्ध-क (समाप्त)

(वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ--पैरा 3 (xvii) के संदर्भ में)

उचन्त के अधीन स्थगन में रखी गयी राशि की मुख्य शीर्ष वार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	वाञ्छर माह	राशि	कुल राशि
15	5054	03/2022	1.98	1.98
16	5452	03/2022	0.38	0.38
कुल				78.74

(वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ--पैरा 3 (xvii)के संदर्भ में)

आपत्ति पुस्तिका से निकासी की गई राशि का मुख्य शीर्ष वार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	कुल राशि(2019-20)
01	2013	0.16
02	2015	1.83
03	2055	0.44
04	2070	7.50
05	2202	24.28
06	2205	1.97
07	2210	4.90
08	2216	16.32
09	2217	14.23
10	2225	17.00
11	2235	1.15
12	2236	26.22
13	2245	747.32
14	2401	46.53
15	2402	1.06
16	2403	0.99
17	2405	6.77
18	2501	27.54
19	2515	22.23
20	2851	8.27
21	3425	0.56

अनुबन्ध-ख(समाप्त)

(वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ--पैरा 3 (xvii)के संदर्भ में)

आपत्ति पुस्तिका से निकासी की गई राशि का मुख्य शीर्ष वार विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	कुल राशि(2019-20)
22	3452	73.00
23	4055	8.46
24	4059	7.92
25	4216	1.15
26	4402	1.80
27	4515	3.69
28	5054	13.48
29	5055	20.41
30	5452	23.36
31	5475	53.22
कुल		1,183.76
क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	कुल राशि(2020-21)
01	2070	7.02

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2022
www.cag.gov.in



<https://cag.gov.in/ae/himachal-pradesh/hi>